निविदा आमंत्रण

(Request for Proposal)

शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय ग्वारीघाट जबलपुर में आरम्भ होने वाले बी.एस.सी.नर्सिंग पाठ्यकम हेतु आवश्यक **शैक्षणिक** मानव संसाधन की पूर्ति आउटसोर्स के माध्यम से किये जाने हेतु आउटसोर्स ऐजेन्सी के चयन की निविदा

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय ग्वारीघाट जबलपुर,
(ग्वारीघाट जबलपुर 482008)
Web: www.gac.edu.in mail id pri.ayurvedajbp@gmail.comदूरभाष क्रं.
0761&2970733

Principal
Govt. Ayurvedic College & Hospital
Jabalpur (M.P.)

अस्वीकरण

प्रस्ताव के लिए इस अनुरोध में निहित जानकारी (इसके बाद 'आरएफपी' के रूप में संदर्भित) दस्तावेज़ या बाद में आवेदकों को प्रदान की गई, चाहे मौखिक रूप से या दस्तावेजी रूप में या इस कार्यालय या उनके किसी कर्मचारी या सलाहकार की ओर से किसी अन्य रूप में, आवेदकों को इस आरएफपी में निर्धारित नियमों और शर्तों और ऐसे अन्य नियमों और शर्तों पर प्रदान किया जाता है जिनके अधीन ऐसी जानकारी प्रदान की जाती है।

यह आरएफपी एक समझौता नहीं है और संभावित आवेदकों या किसी अन्य व्यक्ति के लिए इस कार्यालय द्वारा न तो कोई प्रस्ताव है और न ही आमंत्रण। इस आरएफपी का उद्देश्य इच्छुक पार्टियों को ऐसी जानकारी प्रदान करना है जो प्रस्ताव के लिए इस कॉल के अनुसार उनके प्रस्तावों को तैयार करने में उपयोगी हो सकती है। इस आरएफपी में सूचना शामिल हो सकती है, जो कार्यक्रम के संबंध में इस कार्यालय द्वारा प्राप्त धारणाओं को दर्शा सकती है। इस तरह की धारणाएं, आकलन और बयानों का तात्पर्य उन सभी सूचनाओं को शामिल करने से नहीं है जिनकी प्रत्येक आवेदक को आवश्यकता हो सकती है। इस आरएफपी में निहित धारणाएं, आकलन, बयान और जानकारी पूर्ण, सटीक, पर्याप्त या सही नहीं हो सकती हैं। इसलिए प्रत्येक आवेदक को अपनी स्वयं की जांच और विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इस आरएफपी में निहित मान्यताओं, आकलन और जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता, शुद्धता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जांच करनी चाहिए और उपयुक्त स्रोतों से स्वतंत्र सलाह प्राप्त करनी चाहिए।
यह कार्यालय यहां व्यक्त कानून पर किसी भी व्याख्या या राय के लिए सटीकता या अन्यथा के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। यह कार्यालय, इसके कर्मचारी और सलाहकार कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं और किसी भी कानून, क़ानून, नियमों या विनियमों या अपकार, बहाली के सिद्धांतों या अन्यायपूर्ण संवर्धन या अन्यथा किसी भी नुकसान, क्षति, लागत के तहत किसी भी आवेदक सहित किसी भी व्यक्ति के लिए कोई दायित्व नहीं होगा।या व्यय जो इस आरएफपी या अन्यथा में निहित किसी भी चीज के कारण उत्पन्न हो सकता है । जिसमें सटीकता, पर्याप्ता, शुद्धता, विश्वस्नीयता या आरएफपी की पूर्णता और इसमें निहित कोई आकलन, धारणा बयान या जानकारी शामिल है या माना जाता है । इस आरएफपी का हिस्सा बने या इस चयन प्रक्रिया में किसी भी तरह से उत्पन्न हों यह कार्यालय किसी भी प्रकार की देयता को स्वीकार नही करता है । चाहे वह लापरवाही के परिणामस्वरूप हुई हो या अन्यथा इस आरएफपी में निहित बयानों पर किसी आवेदक की निर्भरता से उत्पन्न हुईहो। यह कार्यालय अपने पूण विवेकाधिकार में लेकिन ऐसा करने के लिये किसी भी दायित्व के तहत इस आरएफपी में निहित सूचना मूल्यांकन या धारणा को अधतन संशोधित पूरक कर सकता है ।
इस आरएफपी के जारी होने का अर्थ यह नही है कि कार्यालय किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये बाध्य है । जैसा भी मामला हो कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये और यह कार्यालय बिना कोई कारण बताए सभी या किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

खंड 1 :तथ्य पत्रक(Fact Sheet)
खंड 2: आमंत्रण पत्र
खंड 3: संदर्भ की शर्तें (Terms of Reference)
3.1प्राथमिक लक्ष्यविस्तृतकार्य-विवरण (Scope of Work)
3.2 ई-निविदा
3.3 अनुबंध की अवधि
3.4 बयांना राशि जमा (ईएमडी)
3.5 निविदा का वापस लेना
3.6 तकनीकी प्रस्ताव
3.7 तकनीकी प्रस्ताव का मूल्यांकन
3.8वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन
3.9निविदामानदंड (Bid Criteria)
3.10बोलीकर्ता का चयन
3.11निविदाकर्ताओं के लिए निर्देश
3.12निविदाकर्ता का स्वरुप
3.13अप्रत्याशित घटना:
3.14विवादों का समाधान
3.15मैत्रीपूर्ण समझौता
3.16मध्यस्थता करना
3.17कानून एवं कानूनी क्षेत्राधिकार
खंड4: नियमऔरशर्तें4.1सामान्य
4.1.1संस्थान के दायित्व
4.1.2विविध
4.2निविदाएं जमा करने के संबंध में
4.3 केवल एक प्रस्ताव
4.4 आरएफपी का संशोधन
4.5 प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार
4.6 कार्य का आवंटन और समझौते पर हस्ताक्षर
4.6.1 कार्यारम्भ में विलम्ब/विफलता कंडिका4.6.2
4.7 परिवर्तन आदेश और अनुबंध संशोधन(Contract Amendment)
4.8 समाप्ति खंड (Termination Clause)
4.8.1 समापन
4.8.2 विभाग द्वारा समाप्ति
4.8.3एजेंसी द्वारा समाप्ति
4.8.4समाप्ति पर भुगतान
4.8.5अधिकारों और दायित्वों की समाप्ति
4.9 सेवाओं की समाप्ति
5 महत्वपूर्ण बिंदु
5.1 एजेंसी को भुगतान

5.2 जुर्माना
5.2.1पेनल्टी शुल्क
5.3अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन
5.4 देयता
5.5 गोपनीयता की बाध्यता
5.6 हानि से सुरक्षा
प्रपत्र - "अ-1" (सूचना पत्र)
प्रपत्र - "अ-2" (घोषणापत्र)
प्रपत्र - "अ-3" (निविदा की शर्तें एवं नियम से सहमति पत्र)
प्रपत्र - "अ-4"
प्रपत्र "अ-5"
प्रपत्र "ब"(अनुभव के साक्ष्य)
प्रपत्र "ब" 1कार्य अनुभव प्रमाण पत्र
प्रपत्र "स"(वार्षिक टर्नओवर)
प्रपत्र "द"(प्रतिभूति घोषणा पत्र)
प्रपत्र "इ"(Conflict of Interest)
प्रपत्र"फ"(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता– प्रारूप)
प्रपत्र "फ" 1वित्तीय विड
प्रपत्र "फ"2तकनीकी स्कोर पत्रक
परिशिष्ट "ग"(पदों की सूची)

प्रस्तावना

शासकीय स्वशासी आयुर्वेद **महाविद्यालय** चिकित्सालय जबलपुर म;प्र; शासन आयुष विभाग के अन्तर्गत स्थापित एवं चिकित्सा शिक्षा की संस्था है । संस्थान जिसके अन्तर्गत स्नातक के आयुर्वेद शिक्षा के पाठ्यक्रम एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित है संस्थान छात्र छात्राओ के समुचित शिक्षण प्रशिक्षण हेतु चिकित्सालय, रिसर्च लैब, हर्बल गार्डन, फार्मेसी आदि का संचालन करता है। शासन निर्णय एवं संस्थान कार्यकारणी समिति के निर्णय के अनुक्रम मे संस्थान द्वारा बी. ए.एम.एस. नर्सिंग पाठय़क्रम का संचालन भी किया जाना है।

पाठयक्रम के गुणवत्ता पूर्ण संचालन एवं नियामक संस्थाओ द्वारा निर्धारित मापदण्डो की पूर्ति हेतु संस्थान के अन्तर्गत शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यो/प्रशिक्षण एवं कार्यालयीन/प्रशासकीय कार्यो हेतु संस्थान को आउटसोर्स मानव संसाधन प्रदान करने के लिए एजेन्सी के चयन हेतु द्विचरण प्रणाली तकनीकी प्रस्ताव और वित्तीय प्रस्ताव के तहत शासकीय स्वशासी आयुर्वेद **महाविद्यालय** चिकित्सालय जबलपुर निविदा आमंत्रित करता है।

पात्र निविदाकारwww.mptenders.gov.inपर अपनी निविदा ऑनलाइन जमा कर सकते है । बोली जमा करने और तकनीकी निविदाओं के मूल्यांकन के बाद, तकनीकी मानदंडों पर अर्हता प्राप्त करने वाले निविदाकर्ताओं पर वित्तीय मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा। आरएफपी मूल्यांकन न्यूनतमसेवा शुल्क एवं QCBS(Quality and Cost Based Selection)के आधार पर होगा,

खंड 1 :तथ्य पत्रक(Fact Sheet)

क.	ब्यौरा	विवरण
1	संदर्भ संख्या/Reference Number : - 5957	दिनांक 29 / 10 / 2025
2	परियोजना का नाम	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय जबलपुर के नर्सिंग पाठयक्रम संचालन हेतु
3	निविदा जारी करने वाले का नाम	प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय जबलपुर
4	- ऑनलाइन निविदा आमंत्रण जारी करने की तिथि। - समाचार पत्र में विज्ञप्ति निविदा प्रकाशन।	- ऑनलाइन :समाचारपत्र: 01/11/2025
5	प्री-बिड प्रश्न की अंतिम तिथिप्रश्न संस्थान के ई-मेल पर निर्धारित समय सीमा मे प्राप्त होने पर विचारणीय होंगे।	04/11/2025
6	प्री-बिड प्रश्न की प्रतिक्रिया	06/11/2025
7	निविदा फार्म प्राप्त करने एवं जमा करने की अंतिम तिथि	22/11/2025 सायं 05 बजे तक
8	तकनीकीबिड खुलने की तिथि एवं समय	24/11/2025 दोपहर 02 बजे तक
9	वित्तीय बिडखुलने की तिथि एवं समय	निविदाकारो को पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जायेगा।
10	निविदा जारीकर्ता एवं संवाद हेतु पता	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय जबलपुर
11	निविदा पत्र मूल्य *	रूपये 3,000/-'रूपये तीन हजार मात्र, गैर-वापसी योग्य पोर्टल फीस, कर अतिरिक्त
12	निविदा प्रतिभूति राशि(EMD – Earnest Money Deposit)	रूपये 100000/- रूपये एक लाख रूपये मात्र
13	निष्पादन प्रतिभूतिराशि(सफलनिविदाकर्ताहेतु)	रूपये 100000/- रूपये एक लाख रूपये मात्र
14	निविदाप्रस्ताव की वैधता	120 दिन
15	चयन की विधि	**2-Stage Bid (Technical and Financial) Least Cost Basis**
16	निविदा/परियोजना की अवधि	3 वर्ष
17	परियोजना के नोडल अधिकारी	**शासकीय स्वशासी आयुर्वेद** महाविद्यालय चिकित्सालय जबलपुर

18	निविदादस्तावेज़ की उपलब्धता और निविदा प्रस्तुत करने का तरीका	निविदाकर्ता कोई-निविदा हेत ई-टेंण्डर की वेबसाईट www.mptenders.gov.inके माध्यम से तकनीकी कवर अन्तर्गतस्व-सत्यापित अभिलेख/प्रपत्र सुस्पष्ट एवं(.Pdf½में निम्नानुसार क्रम में अपलोड करना होगे:- 1- निविदा पत्र को ऑनलाइन क्रय करने की ई-रसीद की छायाप्रति। 2- ईएमडी राशि ऑनलाइन जमा करने कीई-रसीद अथवा इएमडी मे मानव संसाधन आउटसोर्स के लिये छूट संबंधी एमएसएमई विभाग का प्रमाण पत्र की छायाप्रति। 3- प्रपत्र - अ-1 सूचना पत्र 4- प्रपत्र - अ-2 घोषणा पत्र 5- प्रपत्र - अ-3 निविदा की शर्ते एवं नियम से सहमति पत्र । 6. प्रपत्र - अ-4 निविदाकर्ता द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारीप्रत्येक अभिलेख का पृष्ठ अंकित करें । 7. प्रपत्र - अ-5 फर्म/संस्थाकी जानकारी 8. निविदाकर्ता का परिचय व विवरण उद्घोषित करना होगा। अथवासंस्था द्वारा नामांकित प्रतिभाति का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । 9- आयकर के स्थायी लेखा संख्या (पेन नं.) की सत्यापित छायाप्रति। 10. निविदाकर्ता एकल स्वामित्व की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति/ भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अन्तर्गत (पार्टनरशिप डीड संलग्न करें)/ कम्पनी की स्थिति मे कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिये(पंजीकरण संलग्न करें)। 11. सुरक्षा एक्ट अधिनियम 2005Private Security Agencies Regulation Act, 2005 (PSARA)अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य का वैध अथवा वैधता समाप्त होने की स्थिति मे नवीनीकरण हेतु निविदा की तिथी के पूर्व निर्धारित शुल्क की रसीद एवं आवेदन किया हुआ अभिलेख अथवा पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति। 12. मध्यप्रदेशराज्य मे श्रम नियमों के अंतर्गत कराये गये भारत सरकार के प्रमाण-पत्रकी सत्यापित छायाप्रति। 13. जी. एस. टी.वर्तमान स्थिति में नवीन पंजीयन होने के प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति। 14. भविष्य निधि(EPFO)कार्यालय के नवीनपंजीयन

		प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति। 15. ई.एस.आई.सी.(ESIC)नवीनपंजीयन की सत्यापित छायाप्रति। 16. निविदाकर्ताका किसीभी शासकीय कार्यालय में कम से कम 03वर्षतथा 500मेनपावर सतत प्रदाय करने का कार्य अनुभव किसी भी एक विभाग में होना चाहिये। प्रपत्र ब 17. निविदाकर्ता के पास आई.एस.ओ. का वैध सार्टिफिकेटवैध होना चाहिये। जो निविदा जमा करने की तिथि में मान्य हो, की सत्यापित छायाप्रति। 18. निविदाकर्ता का कम से कम 3वर्षों से कार्यरतहोने का गुमास्ता प्रमाणपत्र अथवा पंजीयन होना चाहिये। 19. निविदाकर्ता का 03वित्तीय वर्षोंमें प्रति वर्ष टर्नओवर रू.10.00करोड़ से कम नहीं होना चाहिये, केवल मानव संसाधन प्रदाय करने के सम्बन्ध में। इस हेतु सी.ए. के सत्यापित सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। 20. निविदाकर्ता के विगत 03वित्तीय वर्षोंमें प्रति वर्ष न्यूनतमNet Worth Rs. 1.00 करोड़होना चाहिये। इस हेतु सी.ए. के सत्यापित सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।साथ ही प्रपत्र ब –1 एवं प्रपत्र स की जानकारी संलग्न किया जाना आवश्यक होगा । 21. निविदाकर्ता का मार्च 2025तक काEPF/ESIका फंड डिपोजिट सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न होना चाहिये। EPFऑडिट रिर्पोट वर्ष 2025तक की उपलब्धता एवं जमा किये गये EPF/ESIचालान की प्रति के साथ होना चाहिये। 22. निविदाकर्ता का विगत 3वित्तीय वर्षकाGSTR-3B का रिटर्न की प्रतिलगानाअनिवार्यहैतथा वित्त वर्ष 2024-25का अद्यतन रिटर्न भी प्रस्तुत करें। 23. निविदाकर्ता का विगत 3वित्तीय वर्ष काआयकररिटर्न की प्रति होना चाहीये । 24. प्रपत्र –इ:किसी कर्मचारी-अधिकारी से रिश्तेदारी है तो उसका विवरण। 25. प्रपत्र –एफ:प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम का अधिकार पत्र। 26. प्रपत्र - एफ-1:वित्तीय कवर अन्तर्गत अनुबंध दरो को निर्धारित प्रपत्र ¼BOQ½में अपलोड करना होगा,जिसमें निर्धारित स्थानो पर दर,राशि को अंकित किया जाना होगा।**(वित्तीय कवर अन्तर्गत)**

नोट उपरोक्तानुसार चाहे गये प्रपत्र/ अभिलेख ई टेंडर में प्रस्तुत करें अनावश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने पर संबंधित निविदाकर्ता की निविदा को निरस्त किया जायेगा ।

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय
जबलपुर,

(ग्वारीघाट जबलपुर 482008)

Web: www.gac.edu.inE.mail: pri.ayurvedajbp@gmail.com दूरभाष क्रं. **0761-2970733**

खंड2: आमंत्रण पत्र

निमंत्रण पत्र

प्रिय निविदाकर्ता/ओं,

प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद **महाविद्यालय**, चिकित्सालय जबलपुर,"बी.एस.सी. नर्सिंग पाठयक्रम हेतु मानव संसाधन के लिए शासकीय स्वशासी आयुर्वेद **महाविद्यालय** चिकित्सालय जबलपुर को आउटसोर्स मानव संसाधन प्रदान करने के लिए आउटसोर्स एजेंसी के चयन हेतु योग्य संगठनों से तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित करता है।

इच्छुक संगठनों से अनुरोध है कि वे तथ्य पत्रक (Fact Sheet)में दर्शाए गए कार्यक्रम के अनुसारwww.mptenders.gov.inपर ऑनलाइन विवरण प्रस्तुत करें। विवरण और प्रस्तावों को सख्ती से ऑनलाइन जमा करने की आवश्यकता है। आरएफपी में उल्लिखित योग्यता और मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर सफल निविदाकर्ता(इसके बाद "एजेंसी" के रूप में संदर्भित)का चयन किया जाएगा।

किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद **महाविद्यालय** चिकित्सालय जबलपुर से फोन नंबर: 0761 - 2970733 पर केवल कार्यालयीन घंटों के दौरान संपर्क करें।

Principal
Govt. Ayurvedic College & Hospital
Jabalpur (M.P.)

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय जबलपुर,

(ग्वारीघाट रोड, जबलपुर 482008)

Web: www.gac.edu.in E.mail: pri.ayurvedajbp@gmail.comदूरभाष क्रं. 0761-2970733

खंड 3: संदर्भ की शर्तें (Terms of Reference)

3.1प्राथमिक लक्ष्यविस्तृतकार्य-विवरण (Scope of Work)

प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय जबलपुर आउटसोर्स आधार पर उपयुक्त रूप से योग्य और अनुभवी कर्मियों की आवश्यकता है, जो शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय जबलपुर में शैक्षणिक सेवाएं प्रदान करने का कार्य कर सकें। इस **RFP**का प्राथमिक उद्देश्य बी.एस.सी. नर्सिंग पाठयक्रमहेतु अच्छी गुणवत्ता की शैक्षणिक एवं प्रशासकीय सेवाएं प्रदान करना है।

इस RFP के अंतर्गत निम्नांकित सेवाएं प्रदान की जाएँगी

क्रं.	पद का नाम	आवश्यक मानव संसाधन की संख्या	समेकित मानदेय (रूपये प्रतिमाह GST एवं सर्विस चार्ज सहित)	न्यूनतम योग्यता	कुल अनुभव अवधि	अध्यापन का अनुभव	रिमार्क
1.	प्राचार्य	01	60570/–	एम.एस.सी नर्सिंग	15 वर्ष	12 वर्ष	05 वर्ष नर्सिंग कॉलेज में अध्यापन का अनुभव आवश्यक है।
2.	उप–प्राचार्य	01	50490/–	एम.एस.सी नर्सिंग	12 वर्ष	10 वर्ष	05 वर्ष नर्सिंग कॉलेज में अध्यापन का अनुभव आवश्यक है।
3.	सह–प्राध्यापक	02	44190/–	एम.एस.सी नर्सिंग	08 वर्ष	05 वर्ष	05 वर्ष नर्सिंग कॉलेज में अध्यापन का अनुभव आवश्यक है।
4.	सहायक प्राध्यापक	01	38430/–	एम.एस.सी नर्सिंग	03 वर्ष	03 वर्ष	

नोट -समय-समय पर आवश्यकतानुसार पद संख्या परिवर्तनशील रहेगीं

Principal
Govt. Ayurvedic College & Hospital
Jabalpur (M.P.)

3.2 ई-निविदा:- **www.mptenders.gov.inके माध्यम से निविदा दस्तावेज शुल्क और ईएमडी के साथ तकनीकी और**
वित्तीय बोलियों को ऑनलाइन जमा करनाहोगा।

2 ई-निविदा मॉड्यूल में भाग लेने के लिएसंभावित निविदाकर्ताओं को उक्त वेबसाइट पर पंजीकृत होनाअनिवार्य है, इसलिए, सभी संभावित निविदाकर्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन पंजीकरणशुल्क भुगतान करके जल्द से जल्द पंजीकृत हो जाएं।

3 निविदा दस्तावेज उक्त वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं तथापि निविदा दस्तावेजकेवलउन्हीं निविदाकर्ताओं के स्वीकार किए जाएंगे जिन्होंने निविदा दस्तावेज शुल्क रु.3000/- (केवल तीन हजार रुपये) के साथ जीएसटी और गेटवे शुल्कअदा किया है,जिसके बिना निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी।

4 सर्विस और गेटवे शुल्क निविदाकर्ताओं द्वारा वहन किया जाएगा।

5 निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे किसी भी स्पष्टीकरण और/या निविदा जमा करने की तिथि मेंविस्तार या शुद्धिपत्र के लिए नियमित रूप से हमारी ई-निविदा वेबसाइट अथवा संस्थान का वेबसाइट देखें।

6 निविदाकर्ताओं को उक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया को निश्चित रूप से पूरा करना होगा।

7 संस्थान किसी भी कारण से वेबसाइट से डाउनलोड करने की सुविधा में देरी/कठिनाइयों/अनुपयोगिताके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

3.3 अनुबंध की अवधि

1 सफल निविदाकर्ता ("एजेंसी") के साथ 36महीने की अवधि के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षरकिए जाएंगे।

2 एजेंसी के प्रदर्शन के आधार पर और संस्थान के विवेकाधिकार पर अनुबंध की अवधि को आपसी सहमति से उन्हीं नियमों और शर्तों पर आगे बढ़ाने का अधिकार प्रधानाचार्य का रहेगा ।

3 अनुबंध विस्तार की अवधि अधिकतम 1 वर्ष या अगली ऐसी निविदा के प्रकाशित होने एवं नए निविदाकार के चयनित होने तक,जो भी पहले हो,के लिए होगी।

4 अनुबंध विस्तार के लिए तकनीकी और वित्तीय नियम पूर्ववत ही होंगेतथा भुगतान उन्हीं दरों पर किया जायेगा जो एजेंसी द्वारा इस आरएफपी के लिए अपने वित्तीयप्रस्ताव में उद्धृत एवं विभागीय समिति द्वारा स्वीकृत की गयी हैं।

5 36 महीने की अनुबंध अवधि के दौरान एजेंसी इस आरएफपी तथा समझौते के अनुसारसौंपे गए कार्य सेपीछे नहीं हट सकती है। अन्यथा बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी तथा अनुबंध रद्दीकरण पर भीविचार किया जा सकताहै।

3.4बयाना राशि जमा (ईएमडी)

1 ईएमडी को तकनीकी बोली के साथ ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए।

2 ईएमडी न होने की स्थिति में तकनीकी निविदा का आगे मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

3 असफल निविदाकर्ताओं की ईएमडी यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी,लेकिन निविदा की वैधता अवधि समाप्त होने के पश्चात् या सफल निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षरकिए जाने के बाद,जो भी बाद मे हो।

4 सफल निविदाकर्ता को ईएमडी की राशि निष्पादन प्रतिभूति राशि को जमा करने के उपरान्त,बिना किसी ब्याज के, लौटा दी जाएगी।

5 यदि किसी निविदाकर्ता को इएमडी में एमएसएमई द्वारा छूंट है तो छूट संबंधित प्रमाण पत्र जिसमें स्पष्ट होना चाहिये कि यह छूट मानव संसाधन आउटसोर्स उपलब्ध कराने संबंधित कार्य के लिये है ।

3.5 निविदा का वापस लेना

1 हालांकिउक्त कार्यालय ज्ञापन के खंड 2के अनुसारउनके द्वारा एक 'निविदा सुरक्षा घोषणा' (Bid Security Declaration)पर हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता है कि यदि वे वैधता अवधि (120 दिन) के दौरान अपनी निविदाओं को वापस लेते हैं या संशोधित करते हैंतो उन्हें5वर्ष के लिए जिस दिन संस्थान द्वारा इस आशय का पत्र जारी किया जाता है)संस्थानकी भविष्य की निविदाओं के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।

2 Bid Security Declaration का प्रारूप प्रपत्र "द"में संलग्न है।

3.6 तकनीकी प्रस्ताव

1 एजेंसी को एक तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

2 तकनीकी प्रस्ताव तथ्य पत्रक में दर्शाया गया है और यह आरएफपी के प्रासंगिक अनुलग्नकोंमें प्रदानकिए गए मानक रूपों पर आधारित होना चाहिए। निविदाकर्ताओं के लिए प्रत्येक तकनीकी मापदंड को पूराकरना अनिवार्य है। तकनीकी योग्यता के मापदंडों पर अयोग्य पाए जाने वाले निविदाकर्ताओं का वित्तीय प्रस्ताव नहीं खोला जायेगा।

3 तकनीकी प्रस्ताव में कोई वित्तीय प्रस्ताव शामिल नहीं होगा।

4 वित्तीय प्रस्ताव वाले तकनीकी प्रस्ताव को अयोग्य घोषित किया जाएगा।

3.7 तकनीकी प्रस्ताव का मूल्यांकन

1 संस्थान द्वारा नियुक्त अनुलग्नक में दिए प्रपत्रों में मानदंड के आधार पर तकनीकी प्रस्तावों का परीक्षण किया जावेगा।

2 तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात उपरोक्त न्यूनतम मानदंडों को पूरा करने वाले निविदाकर्ताओं पर ही वित्तीय प्रस्ताव हेतु विचार किया जाएगा।

3 अयोग्य पाए जाने पर निविदाकर्ता को कोई स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार नहीं होगा।

4 तकनीकी मूल्याकंन को ई टेंडर की वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा निविदाकर्ता को वेबसाईटसेअपलोड कर सकते है इसके लिये पृथक से कोई शिकायत एवं जानकारी प्राप्त करने वाले निविदाकर्ता को अयोग्यकरार दिया जायेगा

5 संस्थान द्वारा नियुक्त क्रय समिति ("क्रय समिति") निम्नलिखित मूल्यांकन मानदंडों और अंक प्रणाली के आधार पर प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी। यदि आवश्यक हो, तो क्रय समिति इस स्तर पर किसी एक या सभी एजेंसियों से विशिष्ट स्पष्टीकरण मांग सकता है। केवल उपरोक्त न्यूनतम पूर्व-पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले बोलीदाताओं को ही तकनीकी मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा। प्रत्येक मूल्यांकित प्रस्ताव को नीचे दिए गए अनुसार एक तकनीकी स्कोर दिया जाएगा। प्रत्येक मूल्यांकन मानदंड के तहत दिए जाने वाले अधिकतम अंक/अंक नीचे दिए गए हैं। बोलीदाताओं को नीचे दिए गए खंडों के साथ तकनीकी मूल्यांकन के लिए सभी प्रासंगिक

दस्तावेज संलग्न करने चाहिए।योग्य समझे जाने वाले प्रस्तावों का मूल्यांकन निम्नलिखित मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार किया जाएगा:

मूल्यांकन के मानदंड				
क्रमांक	**मानदंड**	**अधिकतम अंक**	**अवंटन की विधि (सभी अतिरिक्त अंक मानदंड के अधिकतम अंकों के अधीन हैं)**	**आवश्यक दस्तावेज**
01	बोलीदाताओं का तीन वर्षों में परामर्श से भारतीय परिचालनों से औसत वार्षिक निवल मूल्य - वित्तीय वर्ष: 22-23,23-24 और वित्तीय वर्ष 24-25	5	•>10 से <= 20 करोड़ - 2 अंक •>25 करोड़ - 5 अंक	लेखापरीक्षित लाभ-हानि की प्रति •पिछलेतीनवित्तीयवर्षोंकालेखा/वार्षिकरिपोर्ट।
02	बोलीदाताओं का तीन वर्षों में परामर्श से भारतीय परिचालनों का औसत वार्षिक कारोबार - वर्ष: 22-23,23-24 और वित्तीय वर्ष 24-25	10	>30 से <= 40 करोड़ - 3 अंक •>50 से <=80 करोड़ - 5 अंक •>100 करोड़ - 10 अंक	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र।
03	बोलीदाताओं को तीन वर्षों के वित्तीय वर्ष: 22-23,23-24 और वित्तीय वर्ष 24-25 में राज्य/केंद्र सरकार के साथ चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में परियोजना प्रबंधन का अनुभव (अनुबंध मूल्य >१करोड़ रुपये प्रत्येक वर्ष)	6	चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में परियोजना प्रबंधन का अनुभव • 3 परियोजनाएँ- 4 अंक • 4 परियोजनाएँ- 5 अंक • 5 परियोजनाएँ- 6 अंक	पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के मामले में ग्राहक से परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र •ग्राहकद्वाराजारीकियागयापीओ/कार्यआदेश
		4	चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में विशिष्ट परियोजना प्रबंधन का अनुभव। • 1 परियोजना- 2 अंक • 2 परियोजनाएँ- 4 अंक	

04	बोलीदाताओं का मध्य प्रदेश में तीन वर्षों के वित्तीय वर्ष चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में परियोजना प्रबंधन का अनुभव (अनुबंध मूल्य >१ करोड़ रुपये प्रत्येक)	5	मध्य प्रदेश में परियोजना प्रबंधन का अनुभव • 1 परियोजना - 3 अंक • 2 परियोजनाएँ - 4 अंक • 3 परियोजनाएँ - 5 अंक	पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के मामले में ग्राहक से परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र •ग्राहकद्वाराजारीकियागयापीओ/कार्यआदेश
5	दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली	10	परियोजना के उद्देश्यों, दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली की समझ	विस्तृत दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली (चार्ट, प्रवाह आरेख और आंकड़े आदि को छोड़कर 8,000 शब्दों से अधिक नहीं)
6	टीम के कौशल (शैक्षणिक योग्यता पूरी न करने वाले संसाधनों के बायोडाटा का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। पेशेवरों का अनुभव केवल पूर्ण वर्षों के लिए ही गिना जाएगा। (उदाहरण - किसी पेशेवर के पास 5 वर्ष 6 महीने का अनुभव है, तो उसे मूल्यांकन के लिए केवल 5 वर्ष ही गिना जाएगा)	60		प्रस्तुत किए गए सभी पेशेवरों के बायोडाटा पर बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने आवश्यक हैं। •बायोडाटा में परियोजना पर काम करने की इच्छा को दर्शाते हु एसं साधन की सहमति शामिल होनी चाहिए। •प्रस्तावित सभी संसाधनों को योग्यता संबंधी शैक्षिक योग्यता केप्रमाण पत्रकी प्रति संलग्न करनी होगी। •संसाधनों का अनुभव योग्यता संबंधी शैक्षिक योग्यता प्राप्तकरनेकेबाद गिना जाएगा। तकनीकी स्टोरमैट्रिक्स का विवरण तालिका आगामी पैरा मे अंकित है।

तालिका के बिन्दु क्रमांक 06 (टीम के कौशल) के क्रम मे मानव संसाधन की योग्यता एवं अनुभव तकनीकी स्टोरमैट्रिक्स का विवरण निम्नानुसार है:-

पात्र माने जाने वाले प्रस्तावों को नीचे दिए गए तकनीकी स्कोर मैट्रिक्स के आधार पर तकनीकी स्कोर दिया जाएगा, जिसकी गणना बोलीदाता द्वारा साझा किए गए प्रत्येक विशेषज्ञ सीवी के आधार पर " निम्न संरचना और जिम्मेदारियों" के अनुसार की जाती है। यह अनिवार्य है कि बोलीदाता द्वारा साझा किया गया प्रत्येक सीवी पात्रता मानदंडों से मेल खाए, अन्यथा प्रस्ताव को अयोग्य माना जाएगा और तकनीकी स्कोर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

Table A			Total Work Experience				Total Relevant Experiencemark
Sr	**Technical Resources**	**No. of Post**	**Min (yrs)**	**Min Marks**	**Max Marks**	**Remark**	**Remark**
1	Principal	01	15	15	20	for every extra yr +1	For additional 5 yrs experience
2	Vice Principal	01	12	12	15	for every extra yr +1	For additional 3 yrs experience

3	Associate Professor	02	08	08	20 (10+10)	for every extra yr +1	For additional 2 yrs experience
4	Assistant Professor	01	03	03	05	for every extra yr +1	For additional 2 yrs experience
Total		5					

इस प्रकार 3.7 अन्तर्गत अंकित विवरण अनुसार तकनीकी प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जायेगा।

3.8वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन

1 केवल उन्हीं बोलीदाताओं के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाएँगे जो तकनीकी मूल्यांकन में उत्तीर्ण होंगे और ऊपर वर्णित तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया के 100 मे से 65 या उससे अधिक तकनीकी अंक प्राप्त करेंगे।

3.9वित्तीय निविदामापदंड (Bid Criteria)

3.10L-1 बोलीकर्तो का चयन

1. एजेंसी का अंतिम चयन L-1 के आधार पर होगा।भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के क्रय नीति प्रभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्याF.6/1/2023 दिनांक 06.01.2023 केअनुपालनमें, जनशक्ति आउटसोर्सिंग सेवाओं की खरीद में न्यूनतम सेवाशुल्क 3.85% (3% लाभ और लेनदेन शुल्क0.85% है) निर्धारित किया गया है।ये शुल्क किसी भी स्थिति में 7% (लेनदेन शुल्क सहित) सेअधिक नहीं होने चाहिए।यदि कोई बोलीदाता/ठेकेदार 3.85% से कम और 7% सेअधिक सेवा शुल्क उद्धृत करताहै, तो बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।उपरोक्तानुसार वित्तीय निविदा मे न्यूनतम सेवा शुल्क (service charge)ऑफर करने वाले निविदाकार को "L1"निरूपित किया जाएगा।

2 L1 के बाद बाकी निविदाकर्ताओं उसी क्रम में को L2 L3 निरूपित किया जायेगा।

3 सेवा शुल्क के एक से अधिक वित्तीय प्रस्ताव अर्थात एक सेअधिक "L1" प्राप्त होने की स्थिति में निर्णय इस प्रकार से लिया जायेगा :

- विगत ०३ वित्तीय वर्षो के औसत टर्नओवर के योग के आधार परसबसे अधिक औसत टर्नओवर वाले निविदाकर्ता को चयनित किया जाएगा।
- औसत टर्नओवर एक समान होने पर एक ही विभाग में मानव सनसाधन के अधिक संख्या के आधार चयनित किया जाएगा।
- परियोजनाओं की संख्या एक समान होने पर विगत ०३ वित्तीय वर्षो के वार्षिक कार्यानुभव (उपलब्ध कराये गए कर्मचारियों की संख्या) के आधार पर।सबसे अधिक उपलब्ध कराये गए कर्मचारियों की संख्या वाले निविदाकर्ताको चयनित किया जाएगा।

3.11निविदाकर्ताओं के लिए निर्देश

1 निविदाकार्य को निर्धारित प्रारूपों में तकनीकी और वित्तीय निविदा जमा करने की आवश्यकता है।

2 निविदाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि व समय से काफी पहले निविदा जमा करदी जाए।

3 विलंबित निविदा और वे निविदा जो निविदा निर्देशों का अनुपालन नहीं करती हैंस्वीकार नहीं की जाएंगी।

4 किसी अन्य तरीके से प्राप्त निविदा को अमान्य कर दिया जाएगा।

5 आरएफपी में वर्णित पात्रता मापदंड और मूल्यांकन मापदंड के आधार पर निविदाकर्ताओं की जांच की जाएगी।

6 निविदा प्रक्रिया निरसन की स्थिति में प्रपत्रों की राशि वापिस नहीं की जाएगी।

7 निविदा जमा करने की तारीख में विस्तार या तारीख में बदलाव सहित कोई भी शुद्धिपत्रनिविदाकर्ताओंको www.mptenders.gov.inद्वारा ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगाऔर वह निविदाकर्ता द्वारा देखा गया माना जाएगा।

8 उक्त शुद्धिपत्र विभाग के वेबसाइट **www.gac.edu.in पर** भी प्रदर्शित किया जायेगा।

9 आवश्यकता पड़ने पर, विभागनिविदाकर्ताओं से उनके प्रस्तावों की वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है।

10 हस्ताक्षर एवंपदमुद्रा- निविदाकर्ताओंकोनिविदा की शर्तो एवं संलग्न समस्त प्रपत्रों के समस्तपृष्ठों पर नाम एवं हस्ताक्षर कर रबर स्टेम्प लगाना अनिवार्य होगा।निविदाकर्ता किसी व्यक्ति को मनोनीत करेंगे,जिसके पास निविदा से सम्बंधित निर्णय तथा सक्रिय प्रबंधन का अधिकार रहेगा।

	निविदाकर्ता का स्वरूप	**हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा (निविदा भरने) हेतु अधिकृत**
1	एकल स्वामित्व	स्वामी स्वयं या उनका मुख्यारनामा धारित अधिकृत व्यक्ति
2	भागीदारी फर्म	सभी भागीदार या उनका मुख्यारनामा धारित अधिकृत व्यक्ति(पार्टनरशिप डीड की प्रति के साथ)
3	कंपनी	कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति (कंपनी के अंतर्नियमों की प्रति के साथ)

1दरें-

(वित्तीय कवर में प्रस्तुत की जावें) दरों का उल्लेख केवल वित्तीय प्रस्ताव में निर्धारित स्थान पर होना चाहिये।

- दरें अंकों एवं शब्दों में भारतीय रूपये मे एवं प्रितशत में होना चाहिये।
- अंकों तथा शब्दों में भिन्नता होने पर शब्दों की रकम को प्राथमिकता दी जाएगी।
- यदि तकनीकी प्रस्ताव में दर उल्लेख किया जाता है तो निविदा स्वतः अमान्य हो जायेगी।

1 अपात्रताएं-निविदा प्रपत्रों में उल्लेखित किसी भी शर्त को पूर्ण न करने पर निविदाकर्ता स्वतः अपात्र मानाजायेगा।

2 शर्तो की ग्राहता की संतुष्टि:-जिस निविदाकर्ता के पक्ष में निविदा स्वीकृत होगी उस के संबंध में यह भी माना जावेगा कि उसने उक्त सभी शर्तो को अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ लिया है। वेसभीशर्ते उसे स्वीकार है तथा उन्ही शर्तो के अंतर्गत उसने निविदा प्रस्तुत की है।

3 किसी निविदाकर्ता की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निविदा को अंतिम रूप देने या बातचीत को प्रभावित करने का कोई भी प्रयासजिस प्राधिकारी को उसने निविदा प्रस्तुत की हैया वह प्राधिकारी जो अपनी निविदा प्रस्तुत करने के बाद इसे स्वीकार करने के लिए अंतिम रूप से सक्षम है या सुरक्षित करने का कोई प्रयास किसी वास्तविक या संभावित निविदाकर्ता के लिए कोई हित या किसी विशेष निविदा की स्वीकृति को किसी भी तरह से प्रभावित करने के लिए निविदाकर्ता को विचार से बाहर करने के लिए उत्तरदायी माना जाएगा।

3.12निविदाकर्ता का स्वरुप

1 निविदा में निविदाकर्ता की संरचना से सम्बंधित दस्तावेज़ दिए जायेंगे (एकल स्वामित्व, भागीदारी,याकंपनी) प्रपत्र "अ-4" के अनुसार ।

2 निविदाकर्ता के संचालकों/भागीदारों का नाम और पता दिया जायेगाप्रपत्र "अ-5" के अनुसार ।

3 अनुबंध की अवधि के दौरान एजेंसी की संरचना में संस्थान की अनुमति के बिना बदलाव नहीं किया जायेगा।

4 निविदाकर्ता के किसी भागीदार अथवा संचालक की मृत्यु या त्यागपत्र या सेवानिवृत्ति की स्थिति से संस्थान को तुरंत अवगत कराया जायेगा।

5 नए भागीदार को शामिल करने की अनुमति संस्थान द्वारा तभी प्रदान की जाएगी जब नया भागीदार यह लिखित वचन निष्पादित करेगा कि वह अनुबंध को पूर्ण करेगा एवं पूर्व में एजेंसी द्वारा लिए गए समस्त दायित्वों को स्वीकारेगा।

6 एजेंसी के डिसॉल्व होने की स्थिति में EMD / निष्पादन सुरक्षा जमा को राजसात किया जायेगा।

7 किसी भागीदार की सेवानिवृत्ति के बाद भी अनुबंध जारी रहने की स्थिति में भागीदार तब तक उत्तरदायी रहेगा जब तक कि भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 32 के अनुसार इसकी सार्वजनिक सूचना की प्रति विभाग को स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक (पावती देय) /इ-मेल द्वारा नहीं भेजी जाती है।

3.13अप्रत्याशित घटना:

1 यहां नियम और शर्तें अप्रत्याशित घटना के अधीन होंगी। न तो संस्थान और न ही एजेंसी को उनके संबंधित दायित्वों के प्रदर्शन में डिफ़ॉल्ट माना जाएगा यदि इस तरह के प्रदर्शन को ईश्वर, युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं, शत्रुता, क्रांति, नागरिक, हंगामा, आधिकारिक हड़ताल, महामारी के कृत्यों के कारणरोका या विलंबित किया जाता है, दुर्घटना या आग या कानून और व्यवस्था उद्घोषणा, किसी भी उपखंड या स्थानीय क्रय समिति की किसी भी सरकार के विनियमन या अध्यादेश के कारण। निविदाकर्ता इस खंड के लाभ का हकदार तभी होगा जब वह फैक्स/ई-मेल द्वारा ऐसी घटनाओं के होने के 96 घंटे के भीतर संस्थानको लिखित रूप में सूचित करता है, जिसके बाद में पंजीकृत डाक (पावती देय) द्वारा पुष्टि पत्र भेजा गया हो।

3.14 विवादों का समाधान

1इस समझौते के पक्षकारों के बीच या इस समझौते के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भीविवाद या मतभेद को पार्टियों द्वारा आपसी परामर्श के माध्यम से सद्भावना और अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करके हल किया जाएगा। इसके लिए पार्टियां उनके /उनके प्रतिनिधियों या अधिकारियों के बीच चर्चा की सुविधा के लिए सभी प्रासंगिक तथ्यों, सूचनाओं और दस्तावेजों का स्पष्ट और समय पर खुलासा प्रदान करने के लिए सहमत हैं।

2किसी भी विवाद एवं शर्तो की अवहेलना अथवा अवचार या कदाचरण की स्थिति मेंनिविदा निरस्त करने संबंधी समस्त अधिकार **प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी** शासकीय स्वशासी आयुर्वेद **महाविद्यालय** चिकित्सालय जबलपुर के पास सर्वथा सुरक्षित रहेगा। प्रकरण में न्यायालयीन परिस्थितियां उद्भूत होने पर प्रकरण भोपाल स्थित न्यायालय में ही चल सकेगा।

3.15 मैत्रीपूर्ण समझौता

1अनुबंध का निष्पादन अनुबंध के नियमों और शर्तों द्वारा शासित होता है। हालाँकि, कभी-कभी, कार्य के दायरे, भुगतान की शर्तों आदि सहित अनुबंध की किसी भी शर्त या शर्त की किसी भी व्याख्या के बारे में विवाद उत्पन्न हो सकता है।

2 ऐसी स्थिति में अनुबंध का कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को विवाद का लिखित नोटिस भेज सकता है।

3 विवाद का नोटिस प्राप्त करने वाला पक्ष नोटिस पर विचार करेगा और प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर लिखित में इसका जवाब देगा।

3.16 मध्यस्थता करना

1 संस्थान और एजेंसी के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद के मामले मेंjजिसे सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं सुलझाया गया है एजेंसी संस्थान से अनुरोध कर सकती है कि वह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996(Arbitration and Conciliation Act, 1996) के तहत मध्यस्थता के लिए विवाद को संदर्भित करे। उक्त अधिनियमऔर कोई भी वैधानिक संशोधन या उसका पुन: अधिनियमनइन मध्यस्थता कार्यवाहियों पर लागू होगा। मध्यस्थता कीकार्यवाही भोपालमध्य प्रदेश में आयोजित की जाएगी। मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। सभीमध्यस्थता के निर्णय लिखित रूप में होंगे और निर्णय के कारणों को बताएंगे। मध्यस्थोंद्वारा निर्धारित मध्यस्थता का खर्च दोनों पक्षों द्वारा वहन किया जाएगा।

3.17 कानून एवं कानूनी क्षेत्राधिकार

1 अनुबंध तत्समय भारत में प्रभावशाली कानूनों / विधियों द्वारा शासित होगा।

2 विभाग और एजेंसी के बीच सभी कानूनी विवाद भोपाल में न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

खंड 4: नियम और शर्तें

4.1 सामान्य

4.1.1संस्थान के दायित्व

1 संचालन की सुविधा के लिए विभाग एक नोडल अधिकारी को संपर्क के एकल बिंदु के रूप में नियुक्त करेगा।

2 **प्रतिदन का ड्यूटी रोस्टर स्टॉक रजिस्टरआदि यहां स्पष्टरूप से प्रदर्शित किया जायेगा।**

3- परिचालनसेजुड़ेदस्तावेज़आदिइसीकार्यालयमेंरखेजायेंगे

4. 1.2 विविध

1 प्रारंभिक अनुबंध अवधि तथ्य पत्रक में दी गई अनुसार होगी।

4.2 निविदाएं जमा करने के संबंध में

1 निविदा दस्तावेज प्राप्त करने के बाद, निविदाकर्ता को उन्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए और फिर मांगे गए सभी दस्तावेजों को जमा करना चाहिए, अनावश्यक दस्तावेज संलग्न न करें अन्यथा निविदा को खारिज कर दिया जाएगा।

2 सभी अनिवार्य दस्तावेजों से युक्त पूर्ण निविदा केवल www.mptenders.gov.inपर ऑनलाइन निविदा प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

3 निविदा जमा करने की समय सीमा: उपरोक्त के अनुसार 2 (दो) भागों में (तकनीकी और वित्तीय) पूरी विदा बताई गई तारीख और समय से पहले ऑनलाइन जमा की जानी चाहिए।

4 निविदा प्रस्तुत करने की निर्दिष्ट तिथि को सरकारी अवकाश घोषित होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय तक निविदा प्राप्त की जायेगी।

5 निविदा प्रक्रिया शुल्क और ईएमडी का भुगतान www.mptenders.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाना चाहिए और निविदाकर्ता को तकनीकी निविदा के साथ भुगतान का प्रमाण अपलोड करना होगा। निविदा में केवल वही दस्तावेज क्रम अनुसार संलग्न करें जो निविदा में मांगें गये है अनावश्यकद स्तावेजप्र स्तुत करने पर तकनीकी विड मेंअयोग्य करार दिया जायेगा।

6 सफल निविदाकर्ता द्वारा सभी तरह से अनुबंध को अंतिम रूप देने के बाद असफल निविदाकर्ताओं को बिना ब्याज के धरोहर राशि (EMD) वापस कर दी जाएगी।

7 उचित प्रदर्शन ("निष्पादन गारंटी") और अनुबंध कार्य के अनुपालन की गारंटी के रूप में सफल निविदाकर्ता ("एजेंसी") अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले बैंक गारंटी के माध्यम से निष्पादन सुरक्षा जमा (Performance Security Deposit or Bank Guarantee) के रूप में एक नियत राशिजमा करेगा।

- उक्त राशि को तथ्य पत्रक में निर्दिष्ट किया गया है।
- यदि पूर्ण निष्पादन सुरक्षा जमा गैर-निष्पादन के लिए जब्त कर ली जाती हैतो एजेंसी को ज़ब्ती की तारीख से 20 दिनों की अवधि के भीतर संचालन जारी रखने के लिए समान राशि का एक और निष्पादन सुरक्षा जमा भरना होगा।
- यदि निष्पादन सुरक्षा जमा का एक हिस्सा जब्त कर लिया जाता है,तो एजेंसी तथ्य पत्रक में दी गई राशि के बराबर निष्पादन सुरक्षा जमा बनाने के लिए शेष राशि जमा करेगी।

- निष्पादन सुरक्षा जमा को अनुबंध समाप्त अथवा रद्द होने के 3 महीने पश्चात या सभी देयकों के निपटान के पश्चात] जो भी बाद में हो] वापिस किया जायेगा।
- निष्पादन सुरक्षा जमा पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जायेगा।

8 सफल निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई EMD उसके द्वारा निष्पादन सुरक्षा जमा करने पर बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। यदि सफल निविदाकर्ता कार्य स्वीकृति पत्र जारी होने के नियत दिनों के भीतर निष्पादन गारंटी जमा करने में विफल रहता हैतो उसकी धरोहर राशि (EMD) जब्त कर ली जाएगी यदि विभाग द्वारा समय विस्तार नहीं दिया जाता है।

9 यदि सफल निविदाकर्ता काम करने में विफल रहता है या अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों कापालन करने में विफल रहता है तो EMD को जब्त कर लिया जाएगा।

10 निविदा खोलने की तारीख से 120 दिनों की अवधि के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के लिए बिड वैध और खुली होगी।

11 उद्धृत दरों में किसी भी बदलाव के लिए कोई अनुरोध नहीं होगा

12 सफल प्रस्ताव वाले निविदाकर्ता द्वारा किसी भी आधार पर निविदा वापस लेने का अनुरोध नहीं किया जाएगा।

13 मूल्यांकन के बाद, सभी शर्तों को पूरा करने वाले उस निविदाकर्ता को काम दिया जाएगा जो वित्तीय प्रस्ताव में सबसे कम सेवा शुल्क प्रतिशत (Service Charge Percentage) उद्धृत करेगा।

14 संस्थान बिना कोई कारण बताए किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

15 संस्थान किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है, जो उनकी राय में,अपूर्णहै या किसी भी शर्त/विनिर्देशों का उल्लंघन करती है, बिना किसी नुकसान के या किसी भी दायित्व के बिना, जो भी प्रक्रिया में निविदाकर्ता को हो सकता है।

16 निविदा प्रक्रिया निरसन की स्थिति में प्रपत्रों की राशि वापिस नहीं की जाएगी।

17 एजेंसी को आवश्यक संसाधनों को प्रदान करना चाहिएं जो निविदा की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। इसमें पर्याप्त संख्या शामिल है।

18 निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे RfP दस्तावेजों में सभी निर्देशों, प्रपत्रों, आवश्यकताओं, परिशिष्टों और अन्य सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें।

19 प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के बारे में यह माना जाएगा कि RfP दस्तावेज़ के सावधानी पूर्वक अध्ययन और परीक्षण के बाद इसके निहितार्थों की पूरी समझ के साथ प्रस्तुत किया गया है।

20 किसी भी रूप में पक्ष-प्रचार करना सख्त वर्जित है और जो निविदाकर्ता प्रचार-प्रसार करते पाए जाते हैं वे अपनी निविदाओं को तत्काल अस्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

4.3 केवल एक प्रस्ताव

1 निविदाकर्ता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।किसी संघ (Consortium)और/या किसी भी तरह के संयुक्त उद्यम की अनुमति नहीं है।

2 यदि कोई निविदाकर्ता किसी संयुक्त उद्यम या संघ के माध्यम से किसी भी तरीके से चयन की प्रक्रिया में भाग लेता हैं और/या एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है]तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और प्रस्ताव को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

4.4 आरएफपी का संशोधन

1 संस्थान किसी भी कारण से समय-समय पर आरएफपी को संशोधित कर सकता है।

2 आरएफपी में संशोधन (संशोधनों) को शुद्धिपत्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से बताया जाएगा और निविदाकर्ता ऐसे

संशोधनों के कारण अपने प्रस्ताव में संशोधन कर सकते हैं।

3 शुद्धिपत्र निविदाकर्ताओं को www.mptenders.gov.in द्वारा ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा और वह निविदाकर्ता द्वारा देखा गया माना जाएगा।

4 शुद्धिपत्र संस्थान के वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।संभावित निविदाकर्ताओंको बिड तैयार करने में संशोधन को ध्यान में रखने के लिए उचित समय प्रदान करने हेतुविभागअपने विवेक से निविदा जमा करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।

4.5 प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार

1 विभाग प्रभावित निविदाकर्ताओं के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा या प्रभावित निविदाकर्ताओं को इस तरह के निर्णय के आधार के बारे में सूचित करने के लिए किसी भी दायित्व के तहत नहीं होगा।

2 निविदा प्रक्रिया निरसन की स्थिति में प्रपत्रों की राशि वापिस नहीं की जाएगी।

3 विभाग किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदिकिसी भी समयकोई गलतबयानी की जाती है या उजागर की जाती है।

4.6 कार्य का आवंटन और समझौते पर हस्ताक्षर

1 L1के चयन के बाद, स्वीकृति पत्र ("एलओए") चयनित निविदाकर्ता को जारी किया जाएगा और चयनित निविदाकर्ता ("एजेंसी") निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपनी स्वीकृति की सूचना देगा।

2 एलओए के अनुसार, एजेंसी आवश्यक राशि कीअनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(Scheduled Commercial Bank) द्वारा जारी अपरिवर्तनीय(irrevocable) बैंक गारंटी प्रदान करेगा और फिर एलओए में निर्दिष्ट समय के भीतर उचित मूल्यवर्ग के गैर-न्यायिक 500/- स्टाम्प पेपर पर समझौते को निष्पादित करेगा।

3 चयनित निविदाकर्ता समझौते में किसी भी विचलन की मांग करने का हकदार नहीं होगा।

4 चयनित निविदाकर्ता को इस RfP के संचालन हेतु अनुबंधित मानव संसाधन के विवरण (Bio- Data)को समझौते के साथ ही प्रस्तुत करना होगा :

- नाम
- लिंग
- जन्म तिथि
- पिता का नाम
- माता का नाम
- संस्था का नाम जहां तैनाती प्रस्तावित है
- कार्य/पद
- शैक्षणिक योग्यता
- निर्सग कांउिसल मे जीवत पंजीयन का प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र

(फैकल्टी की आयु 31 उक्टूवर 2025 को 59वर्ष से उपर नही होनी चाहिए।

- चरित्र प्रमाण पत्र
- फिटनेस मेडिकल प्रमाण पत्र ।

1 उक्त सभी दस्तावेज़ों के सम्बन्ध में स्व-प्रमाणित छाया-प्रवि. संलग्न करना आवश्यक है, जिनका सत्यापन मूल प्रति से किया जायेगा।

2 शैक्षणिक योग्यताएवं अनुभव के साक्ष्य केवल किसी मान्यता-प्राप्त संस्था के द्वारा प्रदाय किये गए होने चाहिए।

4.6.1 कार्यारम्भ में विलम्ब/विफलता

1 ऊपर दिए चयन प्रक्रिया के बावजूदसंस्थान L1के चयन को रद्द कर सकता है यदि निम्नांकित में से कोई भी परिस्थिति बन जाये:

a) सफल निविदाकर्ता अनुबन्ध कराने से पूर्व ही निविदा से अपना प्रस्ताव वापिस लेता है अथवा
b) नियत अवधि में अनुबंध नहीं करता है अथवा
c) निविदा में दिये गई दरों में बदलाव की मांग करता है अथवा
d) निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिबंधित/ब्लेकलिस्टेड के आशय का शपथ पत्र गलत पाया जाता है या उसके खिलाफ किसी शिकायत की पुष्टि होती है अथवा
e) निविदाकर्ता निष्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता है अथवा
f) निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध उपरान्त आवश्यकतानुसार फैकल्टीज संस्थान को समय-सीमामें उपलब्ध नहीं करावाये जाते है अथवा
g) निविदाकर्ता सौंपे गये कार्य को प्रारम्भ करने में विलम्ब करता है या करने में असफल रहता है।

2 कंडिका4.6.2

1 में से कोई भी परिस्थिति बन जाने पर:

/ L1 की निविदाको निरस्त कर दिया जायेगा।

/ एलओए/अनुबंध (जो भी लागू हो)को रद्द कर दिया जायेगा।

/ धरोहर राशि/निष्पादन प्रतिभूति राशि (जो भी लागू हो) राजसात कर ली जावेगी।

/L1 निविदाकर्ता को 5वर्षों के लिए ब्लैक लिस्ट किया जावेगा।

2 कंडिका 4.6.1 (1)में से किसी के भी लागू होने पर तथा L1का एलओए अथवा अनुबंध रद्द होने परप्राप्त निविदाओं में से L2 से L1 की दर पर कार्य करवाना प्रस्तावित किया जायेगा।

3 L2 के द्वारा कार्य से मना करने पर L3 से L1 की दर पर कार्य करवाना प्रस्तावित किया जायेगा।

4 इसीप्रकार L3 द्वारा भी कार्य से मना करने पर अगले क्रम L4 से L1 की दरपर कार्य करवाना प्रस्तावित किया जायेगा।

5 इस निर्णय के पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य कोरहेगे।

6 हालाँकिकंडिका 4.6.1 (1) में दिए प्रावधानों के बावजूदप्रधानाचार्य को पूर्ण अधिकार होगा कि वह इस RfP का निरसन भी कर सकते हैं।

4.7 परिवर्तन आदेश और अनुबंध संशोधन(Contract Amendment)

१ विभाग किसी भी समय, एजेंसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मामले में अनुबंध के सामान्य दायरे (दायरे में परिवर्तन, Change of Scope) के भीतर परिवर्तन करने के लिए लिखित सूचना के माध्यम से एजेंसी को आदेश दे सकता है।

२-एजेंसी द्वारा उद्धृत L1 शुल्क अनुबंध की पूरी अवधि और/या अनुबंध के विस्तार, जो भी बाद मेंहो, के लिए निर्धारित और मान्य होंगे।

३- 3वर्ष के पश्चात यदि सेवाएं सफलता पूर्वक कार्यानुरूप निष्पादित पाई जाती हैं तो अनुबंध की अवधि दोनों पक्षों की सहमति सेआगामी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने तक अथवा अधिकतम1वर्ष तक,जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाई जासकतीहैं।

४-निष्पादन प्रतिभूति जमा की अवधि को भी तदनुसार बढ़ाया जायेगा।
५-इस निविदा अंतर्गतL1स्वीकृत दरों पर ही अनुबंध आगे बढ़ाया जायेगा।

4.8 समाप्ति खंड (Termination Clause)

4.8.1समापन

1 यदि एजेंसी दिवालिया हो जाती है तो विभाग किसी भी समय एजेंसी को कम से कम 30(तीस)दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है।

- ऐसी स्थिति में समाप्ति एजेंसी को मुआवजे के बिना होगीबशर्ते कि इस तरह की समाप्ति किसी भी कार्रवाई या उपचार के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी जो विभाग को प्राप्त हुई है या उसके बाद अर्जित होगी।
- ऐसी स्थिति मेंएजेंसीद्वारा दिया गया निविदा प्रतिभूति जमा अथवा निष्पादन प्रतिभूति जमा को राजसात कर लिया जायेगा। एवं 05 वर्ष के लिये ब्लेक लिस्टेड किया जायेगा ।

2 देयता की सीमा किसी भी स्थिति में कोई भी पक्ष परिणामी, आकस्मिक, अप्रत्यक्ष, या दंडात्मक हानि, क्षति या व्यय (consequential, incidental, indirect, or punitive loss, damage or expenses including loss of profit) के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। एजेंसी इस समझौते के तहत किसी भी परिस्थिति में भुगतान की जाने वाली फीस के मूल्य से अधिक के लिए हक़दार नहीं होगी।

a) भागीदारी अधिनियम के अधीन गठित भागीदारी फर्म के भंग होने की स्थिति में संस्थान द्वारा देय राशि का निपटारा सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार किया जायेगा।

4.8.2 संस्थान द्वारा समाप्ति

1 यदि संस्थान एजेंसी के आरोप्य प्रदर्शन से संबंधित कारणों से अनुबंध को समाप्त करना चाहता है, तो संस्थान विशिष्ट टिप्पणियों और निर्देशों के साथ लिखित रूप में एजेंसी को तीस (30)दिनों के लिए सुधार नोटिस देगा।

2 संस्थान तीस (30) दिनों के लिए एजेंसी को समाप्ति की लिखित सूचना दे सकता है। किसी भी घटना के घटितहोने के बाद दिया जाने वाला ऐसा नोटिस, इस समझौते को समाप्त कर सकता है यदि:

- एजेंसी निलंबन के लिखित नोटिस की प्राप्ति के तीस (30)दिनों के भीतर या इस तरह की आगे की अवधि (यदि हो तो) के भीतर, निलंबन की सूचना में निर्दिष्ट किसी भी उल्लंघन या दायित्वों के प्रदर्शन में किसी भी विफलता को दूर करने में विफल रहती है;
- एजेंसी मध्यस्थता की कार्यवाही के परिणाम स्वरूप हुए किसी भी अंतिम निर्णय का पालन करने में विफल रहती है;
- एजेंसी विभाग को ऐसा बयान प्रस्तुत करती है जिसका क्रय समिति के अधिकारों, दायित्वों या हितों परप्रभाव(Material Effect) पड़ता है और जिसे एजेंसी झूठा जानती है;
- एजेंसी द्वारा अपने प्रस्तावों में प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज, सूचना, डेटा या बयान, जिसके आधार पर एजेंसी को योग्य या सफल माना गया, गलतया भ्रामक पाया गया; या
- अप्रत्याशित घटना के परिणाम स्वरूप, एजेंसी कम से कम साठ (60) दिनों की अवधि के लिए सेवाओं का एक महत्वपूर्ण भाग निष्पादित करने में असमर्थ है।

4.8.3एजेंसी द्वारा समाप्ति

1 एजेंसी, कम से कम तीन (03) महीने तक संस्थान को लिखित नोटिस देकर, किसी भी घटना के घटित होने के बाद दी जाने वाली इस तरह की नोटिस, इस समझौते को समाप्त कर सकती है यदि:

- **संस्थान** इस समझौते के अनुसार अपने दायित्वों का उल्लंघन (Material Breach) कर रहा है और **संस्थान** द्वारा प्राप्ति के बाद पैंतालीस (45) दिनों (या ऐसी लंबी अवधि के रूप में जिस परएजेंसी बाद में लिखित रूप में सहमत हो सकती है) के भीतर इस तरह के उल्लंघन को निर्दिष्ट करने वाली एजेंसी से सूचनाप्राप्ति के बादइसका समाधान नहीं किया है।
- अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप, एजेंसी कम से कम साठ (60) दिनों की अवधि के लिए सेवाओं का एक महत्वपूर्ण भाग निष्पादित करने में असमर्थ है।
- **संस्थान** मध्यस्थता के परिणाम स्वरूप पहुंचे किसी भी अंतिम निर्णय का पालन करने में विफल रहता है।
- एजेंसी सेवाओं को जारी रखने में असमर्थ है।

विवाद, मध्यस्थता, अथवा ऐसी किसी भी प्रक्रिया के दौरान, अनुबंध के अनुसार सभीउत्तरदायित्वों और दायित्वों को दोनों पक्षों द्वारा पूरा किया जाना जारीरहेगा।

4.8.4समाप्ति पर भुगतान

1 इस समझौते के समाप्त होने पर अनुबंध की समाप्ति की तिथि तक देय सभी लंबित भुगतान **संस्थान** द्वारा एजेंसीको अनुबंध समाप्ति के बाद बजट की उपलब्धता के आधार पर तत्काल किये जायेगें ।

2 एजेंसी पर आरोप्य कारणों से अनुबंध रद्द होने पर शेष अवधि का कार्य एजेंसी के जोखिम एवं लागत पर करवाया जायेगा एवं इसके परिणाम स्वरूप हुई क्षति, हानि, प्रभार, खर्चे, लागत को एजेंसी से जमा शुल्क पीबीजी से लागत शुल्क वसूला जायेगा।

3 अनुबंध में सभी नियमों और शर्तों को संदर्भित किया जाएगा।

4.8.5अधिकारों और दायित्वों की समाप्ति

1 इस अनुबंध के रद्द होने पर पर या इस अनुबंध की समाप्ति पर, इसके तहत पार्टियों के सभी अधिकार और दायित्व समाप्त हो जाएंगे, ऐसे अधिकारों और दायित्वों को छोड़कर, जो समाप्ति या समाप्ति की तिथि पर अर्जित होसकते हैं; गोपनीयता का दायित्व आरएफपी में निर्धारित किया गया है।

4.9 सेवाओं की समाप्ति

1 अनुबंध की समाप्ति पर या किसी भी पक्ष द्वारा समाप्ति पर, निम्नलिखित गतिविधियों को करने की आवश्यकता है:

- उपकरणों/उपभोग्य सामग्रियों को, जैसा लागू हो, विभाग को सौंपना।
- सभी दस्तावेज और सहायक सामग्री (उपिस्थ्ित पंजी, निरीक्षण रिपोर्ट, आदि) **संस्थान** को सौंपे जाने हैं।

2 दोनों पक्षों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हैंडओवर सुचारू रूप से हो और सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाए।

5 महत्वपूर्ण बिंदु

5.1 एजेंसी को भुगतान

1 एजेंसी को प्रतिमाह की 5 तारीख तक अपने कर्मचारियों को मानदेय भुगतान करना अनिवार्य होगा।

- यदि **संस्थान**द्वारादेयक का भुगतान विलम्ब से हो तो भी मानदेय का भुगतान समय पर होना चाहिए।
- कार्यालय द्वारा परीक्षण उपरांत इन देयकों का भुगतान अनुबंधकर्ता निविदाकार के बैंक अकाउंट में किया जायेगा।
- **संस्थान** द्वारा भुगतान यथासंभव देयक प्रस्तुत करने पर बजट की उपलब्धता के आधार पर तत्कालय कर दिया जायेगा ।

2 प्रतिमाह देयक का भुगतान तब किया जावेगा जब

- नियमानुसार GST की जमाराशि के प्रमाणस्वरूपई-रिसीप्टदेयक के साथ प्रस्तुत हो
- सत्यापित उपस्थिति पत्रक संलग्न हो।

3एजेंसी को ही देयक का भुगतान किया जावेगा।

4 एजेंसी को विभाग द्वारा स्वीकृत दरों के आधार पर भुगतान करना होगा।

5 एजेंसी आउटसोर्स सेवा कर्मचारियों को मासिक भुगतान केवल उनके बैंक खाते में करेगा।

- नगद में भुगतान नहीं होगा।

6 मासिक भुगतान के एवज में एजेंसी अपने कर्मियों से किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं प्राप्त करेगी।

- ऐसा होने पर अर्थ-दंड का प्रावधान हैजिसे कंडिका 5.2और 5.2.1 में विस्तारित किया गया है।
- ऐसा होने पर अनुबंध रद्द भी किया जा सकता हैऔर 5वर्षों के लिए ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।

7 एजेंसी कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाते की पासबुक की छायाप्रतियां चाहे जाने पर विभाग को उपलब्ध कराएगी।

8 एजेंसी को अपने कर्मचारियों का समुचित राशि का व्यक्तिगत दुर्घटना एवं मृत्यु बीमा करना अनिवार्य होगा।

9 इसी प्रकार नियुक्त कर्मचारी को किसी तरह की चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान **संस्थान** द्वारा नही किया जायेगा तथा नियमानुसार महिलाकर्मियों को मातृत्व अवकाश का लाभ भी विभाग द्वारा वहन नही किया जायेगा ।

10 कार्य के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए विभाग का उत्तरदायित्व नहीं होगा।

5.2 जुर्माना

1 एजेंसी पर आरोप्य कार्य के दायरे के अनुसार कार्य शुरू करने में कोई भी देरी अनुबंध मूल्य के 0.25%प्रति सप्ताह देरी या उसके एक हिस्से के लिए देरीदंड को आकर्षित करने के लिए उत्तरदायी है।

2 निर्धारित मापदंडों की किसी भी नियम विरूध्द स्थिति में देयक में से प्रतिदिन अथवा प्रतिघटना केमान से जुर्माना राशि का कटोत्रा किया जाना सुनिश्चित होगा।

- उक्त राशि सामान्यतः पृथक से ली जाएगी।
- यदि आवश्यक हुआ तो निष्पादन प्रतिभूति जमा से भी कटौत्रा किया जायेगा।

3 गुणवत्ता में सुधार के लिए अधिकतम 15दिवस की अवधी के लिए स्पष्टीकरण दिया जाने के पश्चातभी गुणवत्तामें सुधार नहीं होता है तो कार्यवाही स्वरूप अनुंबध निरस्त भी किया जा सकता है।

5.2.1पेनल्टी शुल्क

1. **पेनल्टी के अंतर्गत अर्थदंड इस प्रकार होंगे:**

क्र	विवरण	क्षतिपूर्ति की राशि प्रतिघटना(रूपयेमें)

1.	अभद्र व्यवहार, कार्य के प्रति लापरवाही अनुशासनहीनता अथवा नशे की हालत में पाये जाने पर	1,000/- **से** 10,000/-
2.	परिसर की संपत्ति को नुकसान पहुचाने पर क्षतिपूर्ति	1,000/- **से** 10,00,000/- (अनुमानितराशिकेवलवास्तविकराशिनुकसानकीपूर्तिपर निर्भरकरेगी)
3.	सेवा प्रदाता द्वारा अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन करने या विभागके निर्देशों को न मानने पर	10,000/-या निविदा निरस्त करते हुए परफारमेंस गारण्टी राशि राजसात की जावेगी।
4.	गोपनीयता भंग होने पर	2,000/-
5.	पुलिस सत्यापन में एजेंसी के कारण देरी होने पर	200/- **प्रति व्यक्ति प्रति दिन**
6.	कोई भी पद किसी भी समय रिक्तरहने पर	200/- **प्रति व्यक्ति प्रति दिन**
7.	मासिक भुगतान के एवज में एजेंसी द्वाराअपने कर्मियों से किसी भी प्रकार का कोई भुगतान प्राप्त करना	**सम्बंधित कर्मी के मासिक देय का** 5%
8.	कार्यारम्भ में कोई भी विलम्ब(एजेंसी के कारण)	अनुबंध मूल्य के 0.25%प्रति सप्ताहअथवा उसका एक भाग

1. उक्त अर्थ-दंड के साथ अनुबंध रद्द करने पर भी विचार किया जा सकता है।
2. एजेंसी द्वारा दंड भरने से इंकार करने पर अथवा दंड की पूर्ण राशि जमा ना करने पर अथवा नुकसान की क्षतिपूर्ति ना करने पर15दिन का नोटिस दिया जायेगा।
3. इस अवधि के पश्चात भी संस्थान द्वारा तय दंड की मात्रानुसार पालन ना करने पर अनुबंधरद्द करने के साथ ही एजेंसी को ब्लैक-लिस्ट कर दिया जायेगा तथा उसे 5 वर्षों के लिए संस्थान की किसी भी निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जायेगा।
4. यह प्रतिबन्ध एजेंसी के साथ-साथ उसके स्वामी अथवा भागीदार पर भी लागू होगा।
5. उक्त निर्णयों का पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य पं०खुशलाल शर्मा आयुर्वेद संस्थान के पास रहेगा।

क्षतिपूर्ति के लिए सामग्री के वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार राशि वसूली जाएगी।

5.3अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन

1 एजेंसी के कर्मियों का व्यवहार एवं कार्य सन्तोषप्रद न होने पर या कर्मियों अथवा जनसमान्य द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर तथा उक्त कर्मचारियों का व्यवहार कार्यालय प्रमुख एवं उनके द्वारा अधिकृतद्वारा देखा जायेगा । ऐजेन्सी द्वारा किसी भी प्रकार की शर्तों का उल्लंघन करने पर नोटिसदेने के बाद भी सुधार न होने पर निविदाकर्ता के विरूध्द अर्थ-दंड,संबंधित श्रमिक को हटाना या गंभीरप्रकरण में अनुबंध समाप्त करने की कार्यवाही आयुक्त द्वारा की जायेगी ।

2 इसका पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य को होगा तथा निष्पादन प्रतिभूति राशिकी पूरी अथवा आंशिक राशि जब्त की जा सकेगी, इस राशि पर किसी भी प्रकार कोई ब्याज देय नहीं होगा।

3 जब्ती के पश्चात, यदि अनुबंध क्रियाशील रहता है, तो एजेंसी को निष्पादन प्रतिभूति राशि को दोबारा जमा करना होगा जिससे निष्पादन प्रतिभूति राशि पुनःतथ्य-पत्रक (fact-sheet) में दर्शायी राशि के बराबर हो जाए।

4 किसी भी कर्मचारी को किसी कारणवश कार्य से हटाया जाता है तो आउटसोर्स कर्मी को शासन ,विभागअथवा संस्थान के उपर कोई कार्यवाही एवं मान्य न्यायालय प्रकरण शासन अथवा विभागपर दावा नही करगा । एजेन्सी पर दावा कर सकता है।

5.4 देयता

1 संस्थान की देयता एजेंसी को भुगतान की जाने वाली फीस तक सीमित है।

2 इस RfPके तहत नियुक्त मैनपावर पूर्ण रूप से एजेंसी के कर्मचारी माने जायेंगें।

3 संस्थान किसी भी दशा में इस RfPके तहत नियुक्त मैनपावर को नियमित शासकीय कर्मचारी बनाने हेतु न तो बाध्य है न ही संस्थानकी ऐसी कोई भी मंशा है।

4 अतःइस RfP के तहत नियुक्त मैनपावर का नियमितीकरण. का दावा सदैव अमान्य रहेगा।

5.5 गोपनीयता की बाध्यता

1 एजेंसी उद्धरण/संदर्भ उद्देश्यों के लिए संस्थान के नाम या परियोजना का खुलासा कर सकती है।

2 संस्थान का कोई भी दस्तावेज/अभिलेख/प्रपत्र जो एजेंसी और/या तैनात कर्मचारियों के साथ साझा किया जाता है या जो उनके लिए सुलभ है.आम जनता के सामने कभी भी प्रकटनहींकिया जाएगा।

3 **संस्थान**की लिखित अनुमति के बिना ऐसा करने पर जुर्माना लगाया जाएगा और असाधारण परिस्थितियों में अनुबंध को रद्द कर दिया जाएगा।

5.6 हानि से सुरक्षा

1 वैधानिक भुगतानजैसे कि वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्टप्रोविडेंट फण्ड एक्टई.एस.आई.एक्टआदि के अंतर्गत सभी देयकों के लिए एजेंसी उत्तरदायी होगी।

- संस्थानकाऐसेप्रकरणोंसेकोईभीसरोकारनहींहोगा।

2 संस्थानकिसी तीसरे पक्ष के दावों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3 कार्यस्थल पर कर्मियों के किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट / हादसे पर या ज़ख्मी होने की परिस्थिति में विभाग की कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं होगी तथा संस्थान को इससे सम्बंधित व्यय तथा कानूनी मामलोंसे पूर्णतः पृथक रखा जाना अनिवार्य होगा।

4 किसी भी प्रकार के आपराधिक प्रकरण की स्थिति में संस्थानका कोई व्यय नहीं होगा।

- इससे सम्बंधित व्यय एजेंसी द्वारा किया जायेगा।
- FIRकी कार्यवाही भी एजेंसी द्वारा की जाएगी।

5 एजेंसीद्वाराकिसीभीप्रकार से संस्थान एवं विभागके नाम का उपयोगअन्य कार्योमेंनहीकियाजायेगा

- संस्थान द्वाराउपलब्ध करायेगयेकर्मचारियोंकोकिसीभीप्रकार से कोई ऋण इत्यादि के लिए विभाग के नाम का उपयोगनहीं किया जायेगा। तथा कर्मचारी द्वारा किसी पद के लिये कोई क्लेम नही िकया जायेगा ।
- किसी भी परिस्थिति में यदि ऐसा किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।

Principal
Govt. Ayurvedic College & Hospital
Jabalpur (M.P.)

अनुलग्नक

प्रपत्र - "अ-1" (सूचना पत्र)

(तकनीकी कवर के अन्तर्गत अपलोड किया जावे)

प्रति,

प्रधानाचार्य,
शासकीय स्वशासी आयुर्वेद **महाविद्यालय** चिकित्सालय जबलपुर

विषयः:- शासकीय स्वशासी आयुर्वेद **महाविद्यालय** चिकित्सालय जबलपुर में आउटसोर्स मानव संसाधन प्रदान करने के लिए आउटसोर्स एजेंसी का चयनकराने हेतु निविदा बाबत्।

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा प्रकाशितसंदर्भितनिविदाहेतु ई-निविदा ऑनलाईन www.mptenders.gov.inके माध्यम से आमंत्रित की गई है। मेरे/हमारे द्वारा ई-निविदा से संबंधित निम्न प्रपत्र स्व-प्रमाणित कर (.PDF) फारमेट में ऑनलाईन अपलोड किए जा रहे है:-

विवरण

1 निविदा पत्र को ऑनलाइन क्रय करने की ई-रसीद की छायाप्रति।
2 निविदा प्रतिभूति राशि को ऑनलाइन जमा करने कीई-रसीद की छायाप्रति।
3 प्रपत्र - अ-1 सूचना पत्र
4 प्रपत्र - अ-2 घोषणा पत्र
5 प्रपत्र - अ-3 निविदा की शर्ते एवंनियम से सहमतिपत्र
6 प्रपत्र - अ-4 निविदाकर्ता द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी।
7 प्रपत्र - अ-5 फर्म/संस्थाकी जानकारी
8 निविदाकर्ता का परिचय व विवरण उद्घोषित करना होगा। स्वामित्व /भागीदारी /कम्पनी की ओर से निविदा करने हेतु विधिक रूप से अधिकृतहो।
9 आयकर के स्थायी लेखा संख्या (पेन नं.) की सत्यापित छायाप्रति।
10 निविदाकर्ता एकल स्वामित्व की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति। भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अन्तर्गत (पार्टनरशिप डीड संलग्न करें) एवंकम्पनी की स्थिति में कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिये(पंजीकरण संलग्न करें)।
11 सुरक्षा एक्ट अधिनियम 2005[Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (PSARA)]अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य का पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति। अथवा यदि इस हेतु नवीन/ नवीनीकरण के लिये आवेदन किया गया है तो टेंडर जारी होने के दिनांक के पूर्व का आवेदन तथा शुल्क जामा करने की रसीद होनाआवश्यक है ।
12 श्रम आयुक्त केन्द्रीय अथवा मध्यप्रदेश राज्य मे श्रम नियमों के अंतर्गत कराये गये पंजीयनों के प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
13 जी. एस. टी. पंजीयन होने के प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति।

14 भविष्य निधि (EPFO) कार्यालय के पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति।

15 ई.एस.आई.सी.(ESIC) पंजीयन की सत्यापित छायाप्रति।

16 संस्था का किसी भी शासकीय कार्यालय में कम से कम 03वर्षतथा 500 मेनपावर सतत प्रदाय करने का कार्य अनुभव होना चाहिये। उक्त कार्यालय से विगत वित्तीय वर्ष(2022-23) में कम से कम 10.00 करोड़ का भुगतान होना चाहिये।इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा इस RfP के मानक अनुसार जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

17 संस्था के पास आई.एस.ओ. का वैध सार्टिफिकेट होना चाहिये। जो निविदा जमा करने की तिथि में मान्य हो की सत्यापित छायाप्रति।

18 संस्था का कम से कम 3 वर्षों से कार्यरत होने का गुमास्ता प्रमाणपत्र अथवा पंजीयन होना चाहिये।

19 संस्था के विगत 03 वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25)में प्रति वर्ष टर्न ओवर रू.10.00 करोड़ से कम नहीं होना चाहिये केवल मानव संसाधन प्रदाय करने के सम्बन्ध में। इस हेतु सी.ए. के सत्यापित सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

20 संस्था के विगत 03 वित्तीय वर्षों(2022-23, 2023-24, 2024-25)में प्रति वर्ष न्यूनतम Net Worth Rs. 1.00 करोड़ होना चाहिये। इस हेतु सी.ए. के सत्यापित सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

21 संस्था का मार्च 2025 तक का EPF/ESI का फंड डिपोजिट सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न होना चाहिये। EPF ऑडिट रिर्पोट वित्तीय वर्ष 2025तक की उपलब्धता एवं जमा किये गये EPF/ESI चालान की प्रति के साथ होना चाहिये।

22 संस्था का विगत 3 वित्तीय वर्ष (2022-23, 2023-24, 2024-25) का GSTR-3B का रिटर्न की प्रति लगाना अनिवार्य है तथा वित्त वर्ष 2025-26 का अद्यतन रिटर्न भी प्रस्तुत करें।

23 संस्था का विगत 3 वित्तीय वर्ष (2022-23, 2023-24, 2024-25)का आयकर रिटर्न की प्रति तथाअंकेक्षित लेखा (ऑडिटेड एकाउंट्स) बैलेंस शीट।

24निविदाकर्ता को किसी भी विभाग अथवा संस्था द्वारा ब्लेक लिस्टेड नही किया गया है ।

25 प्रपत्र - इ:किसी कर्मचारी-अधिकारी से रिश्तेदारी है तो उसका विवरण।

26 प्रपत्र - एफ: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम का अधिकार पत्र।

27 प्रपत्र - एफ-1:वित्तीय कवर अन्तर्गत अनुबंध दरो को निर्धारित प्रपत्र BOQ में अपलोड करना होगा] जिसमें निर्धारित स्थानो पर दर, राशि को अंकित किया जाना होगा।

(वित्तीय कवर अन्तर्गत)

दिनांक
स्थानः

हस्ताक्षर................................
संस्था/फर्म/कम्पनी का नाम एवं पद मुद्रा

Principal
Govt. Ayurvedic College & Hospital
Jabalpur (M.P.)

(संस्था के लेटर - हेड पर)

प्रपत्र - "अ-2" (घोषणापत्र)
तकनीकी कवर के अन्तर्गत अपलोड किया जावे

मैं/हम नाम..फर्म/संस्था/कम्पनी का नाम ....भारत का/के नागरिक हूॅ/है। (आगामी बिन्दुओं में मै/हम अधोहस्ताक्षरी निविदाकर्ता के लिए प्रयुक्त होगा।)

1. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार संविदा के लिये सक्षम हूं/हैं।
2. मुझे/हमें सुरक्षा एवं मैन पावर कार्यों या अन्य किसी भी कार्य के लिए म.प्र. शासन अथवा किसी अन्य राज्य शासन / केंद्र के किसी भी विभाग द्वारा विगत 5 वर्षों में ब्लैक-लिस्ट नहीं किया गया है।
3. मैं/हमनिर्धारित अवधि में नियमानुसार निष्पादन प्रतिभूति जमा भरकर अनुबंध करने हेतु पूर्णतः सहमत हूं/हैं।
4. मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त के कार्य की गुणवत्ता ठीक न पाए जाने पर उससे जो नुकसान होगा उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी स्वयं की होगी।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तो के अलावा अन्य कोई शतें प्रस्तुत नहीं की गई है। यदि अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत की गयी है तो उसे अमान्य किया जावे।
6. मैं/हम (फर्म/संस्था/कम्पनी) अपने कर्मचारियों संस्थान द्वारा स्वीकृत दरोंअनुसार भुगतान करूंगा/करेंगें।
7. मैं/हम श्रम कानूनों एवं बाल श्रम अधिनियम एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करूंगा/करेंगें।

दिनांकः

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर)
नामः ....
पूरा पता: ....

(संस्थाकेलेटर - हेडपर)

प्रपत्र - "अ-3" (निविदा की शर्तें एवं नियम से सहमति पत्र)

¼तकनीकी कवर के अन्तर्गत अपलोड किया जावs½

मैं............................पुत्र...............................वास्तेफर्म/संस्था/कम्पनी..."आउटसोर्स मानव संसाधन प्रदान करने के लिए आउटसोर्स एजेंसी का चयन"हेतुजारीविज्ञप्तिई-निविदामेंभागलेनाचाहताहूं।मेरेद्वाराwww.mptenders.gov.inमाध्यमसेजारीई-निविदाक्रमांक ....की शर्तो के अंतर्गत वर्णित की सभी कंडिकाओं एवं उनके अंतर्निहित समस्त उपकंडिकाओं का अध्ययन कर लिया है तथा मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं एवं यदि मेरी ई-निविदा मान्य की जाती है तो निर्धारित शर्तो के आधार पर अनुबंध हेतु सहमत हूं।

दिनांकः...............

स्थानः................

(निविदाकर्ताकेहस्ताक्षरएवंसील)

नाम ....

पूरापता ....

(संस्थाकेलेटर - हेडपर)

प्रपत्र - "अ-4" (निविदाकर्ता द्वारातकनीकीबिडहेतुप्रस्तुतकीजानेवालीजानकारी)

(तकनीकीकवरकेअन्तर्गतअपलोडकियाजावे)

निविदाकर्ता का नाम:-

क्र	विवरण	टिप्पणी हाँ/नहीं	पृष्ठ संख्या जहाँ संलग्न
1.	निविदा पत्र को ऑनलाइन क्रय करने की ई-रसीद की छायाप्रति।		
2.	निविदाप्रतिभूतिराशिको ऑनलाइन जमा करने कीई-रसीद की छायाप्रति।		
3.	प्रपत्र - अ-1 सूचनापत्र		
4.	प्रपत्र - अ-2 घोषणापत्र		
5.	प्रपत्र - अ-3 निविदा की शर्ते एवंनियम से सहमतिपत्र		
6.	प्रपत्र - अ-4 निविदाकर्ता द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी।		
7.	प्रपत्र - अ-5 फर्म/संस्थाकी जानकारी		
8.	निविदाकर्ता का परिचय व विवरणउद्घोषितकरनाहोगा।स्वामित्व /भागीदारी /कम्पनी की ओर से निविदा करने हेतुविधिक रूप से अधिकृतहो।		
9.	आयकर के स्थायीलेखा संख्या (पेन नं.) की सत्यापितछायाप्रति।		
10.	निविदाकर्ता एकल स्वामित्व की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति। भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अन्तर्गत (पार्टनरशिप डीड संलग्न करें) एवंकम्पनी की स्थिति मे कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिये(पंजीकरण संलग्न करें)।		
11.	सुरक्षा एक्ट अधिनियम 2005[Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (PSARA)अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य का पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति। अथ्वा नवीन / नवीनीकरण हेतु किये गये आवेदन एवं शुल्क जमा करने की रसीद जो टेंडर जारी होने के पूर्व की हो ।		
12.	श्रम आयुक्तकेन्द्रीय अथवा मध्यप्रदेश राज्य मे श्रम नियमों के अंतर्गतकरायेगयेपंजीयनों के प्रमाण-पत्रकी सत्यापित छायाप्रति।		
13.	जी. एस. टी.पंजीयनहोने के प्रमाण-पत्र की सत्यापितछायाप्रति।		
14.	भविष्य निधि(EPFO)कार्यालय के पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति।		
15.	ई.एस.आई.सी.(ESIC) पंजीयन की सत्यापित छायाप्रति।		
16.	संस्था का किसी भी शासकीय कार्यालय में कम से कम 03वर्षतथा 500मेनपावर सतत प्रदाय करने का कार्य अनुभव होना चाहिये। उक्त कार्यालय से विगत वित्तीय वर्षइसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा इस RfP के मानक अनुसारजारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।		

17.	संस्था के पास आई.एस.ओ. का वैध सार्टिफिकेट होना चाहिये। आई.एस.ओ. जो निविदा जमा करने की तिथि में मान्य हो की सत्यापित छायाप्रति।		
18.	संस्था का कम से कम 3 वर्षों से कार्यरत होने का गुमास्ता प्रमाणपत्र अथवा पंजीयन होना चाहिये।		
19.	संस्था के विगत 03वित्तीय वर्षों(2022-23, 2023-24, 2024-25)में प्रति वर्ष टर्नओवर रू.10.00करोड़ से कम नहीं होना चाहिंये केवल मानव संसाधन प्रदाय करने के सम्बन्ध में। इस हेतु सी.ए. के सत्यापित सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।		
20.	संस्था के विगत 03वित्तीय वर्षों(2022-23, 2023-24, 2024-25)में प्रति वर्ष न्यूनतमNet Worth Rs. 1.00 करोड़होना चाहिये। इस हेतु सी.ए. के सत्यापित सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।		
21.	संस्था का मार्च 2025तक काEPF/ESIका फंड डिपोजिट सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न होना चाहिये। EPFऑडिट रिर्पोट वित्तीय वर्ष 2025तक की उपलब्धता एवं जमा किये गये EPF/ESIचालान की प्रति के साथ होना चाहिये।		
22.	संस्था का विगत 3वित्तीय वर्ष (2022-23, 2023-24, 2024-25)काGSTR-3Bका रिटर्न की प्रतिलगानाअनिवार्यहैतथा वित्त वर्ष 2025-26का अद्यतन रिटर्न भी प्रस्तुत करें।		
23.	संस्था का विगत 3वित्तीय वर्ष (2022-23, 2023-24, 2024-25)का आयकर रिटर्न की प्रतितथा अंकेक्षित लेखा (ऑडिटेड एकाउंट्स) बैलेंस शीट।		
24.	प्रपत्र - इ:किसी कर्मचारी-अधिकारी से रिश्तेदारी है तो उसका विवरण।		
25.	प्रपत्र - एफ: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम का अधिकार पत्र।		
26.	प्रपत्र - एफ-1:वित्तीय कवर अन्तर्गत अनुबंध दरो को निर्धारित प्रपत्र (BOQ)में अपलोड करना होगा, जिसमें निर्धारित स्थानो पर दर] राशि को अंकित किया जाना होगा।(वित्तीय कवर अन्तर्गत)		

नोटः-निविदाकर्ता द्वारा अगर कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो उसका अनुंबध निरस्त करने तथा निविदा प्रतिभूति राशि को राजसात करने का पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य के पास होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य अनाअवश्यक दस्तावेज संलग्न करने पर निविदा अमान्य की जायेगी ।

दिनांकः

Principal
Govt. Ayurvedic College & Hospital
Jabalpur (M.P.)

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील)

नाम ....

पूरापता..

(संस्थाकेलेटर - हेडपर)

प्रपत्र "अ-5"(घोषणा-पत्र: फर्म/संस्थाकाप्रकार)

(तकनीकीकवरकेअन्तर्गतअपलोडकियाजावे)

घोषणा-पत्र

क्र	ब्यौरा	विवरण		
1	निविदाकर्ताफर्म/संस्था का पूरा नाम			
2	निविदाकर्ताफर्म/संस्था का पूरा पता			
3	फर्म/संस्थाकाप्रकार (एकल स्वामित्व/भागीदारी/कंपनी)			
4	फर्म/संस्थाके संचालक/भागीदार/proprietor का नामऔर पता	नाम (संचालक/भागीदार/proprietor)	पिता का नाम	मोबाईलनं.तथापता
		1		
		2		
5	दूरभाषक्रमाक/मोबाईलनं.			
6	फर्म/संस्था का ई-मेलआई.डी			
7	फर्म/संस्था का स्थापना / गुमस्ता पंजीयन क्रमांक			
8	फर्म/संस्था का जी.एस.टी. पंजीयनक्रमांक			
9	फर्म/संस्था का पेनकार्डनम्बर			
10	फर्म/संस्था का ई.पी.एफ. क्रमांक			
11	फर्म/संस्था का काई.एस.आई.सी. क्रमांक			
12	निविदा प्रतिभूति जमाऑनलाईनराशि का विवरण			

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा शर्ते पढ़ने एवं समझ ने के पश्चात ही मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र भरे एवं प्रस्तुत किये गए हैं।निविदा कीआर्हताऐं कंडिकाओं कोमें/मेरे/द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज पूर्ण रूप से सत्य है इसमें किसी भी त्रुटि/लापरवाही/गलत जानकारी/जानकारी छिपाने अथवा संबंधित दस्तावेजों के ईनिविदा में संलग्नन करने पर निविदा अमान्य अथवा निरस्त की जाती है तो इसके लिये मै/संस्था जिम्मेदार होगी।

दिनांकः

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील)

नाम ....

पूरापता..

प्रपत्र "ब"(अनुभव के साक्ष्य)

(तकनीकीकवरकेअन्तर्गतअपलोडकियाजावे)

शासकीय/अर्ध-शासकीय/केंद्र-शासित संस्था अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम मेंमानव संसाधन उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रोजेक्ट का विवरण ¼विगत 5वर्षों में½

S.N	Name of Assignment with Duration in Years	Date of Award of assignment	Date of Completion of assignment (if applicable)	Name of the Client	Number of Manpower Supplied	Total Amount Received (in Crores)	Work order attached on Page No:
1.							
2.							
3							
4.							
5.							

सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा के साथ नीचे दर्शाये प्रपत्र अनुसारसंलग्न करें।

Principal
Govt. Ayurvedic College & Hospital
Jabalpur (M.P.)

प्रपत्र "ब" 1

कार्य अनुभव प्रमाण पत्र

प्रमणित किया जाता है कि मेसर्स.. ... . के कार्यालय का पता ... . है। इस संस्था में दिनांक ... . से दिनांक ... . तक ... . के कार्य के लिए इन्होंनें आउटसोर्स के आधार पर मैनपावर प्रदाय किया है।

इस अवधि में इनका कार्य अति उत्तम/उत्तम/संतोषजनक/ख़राब रहा।

इस अवधि में इनके द्वारा प्रदाय मैनपावर तथा इन्हें किया गया भुगतान इस प्रकार है:

Financial Year	Number of Manpower Supplied	Amount Paid
2022-**23**		
2023-24		
2024-25		

स्थान ....

दिनांक ....

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर....... ... .

अधिकारी का नाम....... ... .

अधिकारी का पदनाम....... ... .

कार्यालय का पूरा पता....... ... .

दूरभाष....... ... .

पदमुद्रा....... ... .

दिनांकः

(निविदाकर्ताकेहस्ताक्षरएवंसील)

नाम ....

पूरापता...

प्रपत्र "स"(वार्षिक टर्नओवर)

(तकनीकी कवर के अन्तर्गत अपलोड किया जावे)

ANNUAL TURNOVER STATEMENT

(To be Issued by the concerned Chartered Accountant on own letter head)

ANNUAL TURNOVER STATEMENT (from manpower supply services only)

The Annual Turnover of M/S--for the past three years(from manpower supply services only) is given below and certified that statement is true and correct.

S.No.	Financial Year	Turnover (Amt in INR)	Net Worth(Amt in INR)
1	2022-**23**		
2	2023-24		
3	2024-25		
	Total		

Total Turnover -INR---

Average turnover for Last 3 Years –INR--

The above information is correct and true and verified from the audited final accounts.

Date:

Seal:

Signature of Auditor

(Chartered Accountant
Name in Capital)

Membership No-

<u>(Any deviation from this format will render the bidder ineligible for technical qualification)</u>

प्रपत्र "द"(प्रतिभूति घोषणा पत्र)

(तकनीकीकवरकेअन्तर्गतअपलोडकियाजावे)

Bid Security Declaration

महोदय/महोदया

यह शासकीय स्वशासी आयुर्वेद **महाविद्यालय** चिकित्सालय जबलपुर आउटसोर्स मानव संसाधन प्रदान करने के लिए आउटसोर्स एजेंसी का चयन" निविदा के लिए हमारे प्रस्ताव के संदर्भ में है।

हम एमएसई (MSE)श्रेणी के तहत पंजीकृत संस्थाओं (केवल मानव संसाधन आउटसोर्स कार्य हेतु)के संबंध में भारत सरकार और मप्र सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत बिड सिक्योरिटी/अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट के भुगतान से छूट का दावा कर रहे हैं। हम समझते हैं कियदि हम 120 दिनों की प्रस्ताव वैधता अवधि के भीतर अपनाप्रस्ताव वापस लेने/संशोधित करने का प्रयास करते हैंतो संस्थान5 कैलेंडर वर्ष की अवधि के लिए सभी विभागीयनिविदाओं के लिए भविष्य की सहभागिता से हमें रोकने का हकदार होगा।

दिनांक:

आवेदक/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

फर्म की सील

(संस्थाकेलेटर - हेडपर)

प्रपत्र "इ" (Conflict of Interest)

(तकनीकी कवर के अन्तर्गत अपलोड किया जावे)

कार्यकानाम:- शासकीय स्वशासी आयुर्वेद **महाविद्यालय** चिकित्सालय जबलपुर हेतुमानव संसाधन) की सेवाएं आउटसोर्स से उपलब्ध कराने हेतु ई-निविदा बाबत्।

मैं ---------------------- यह सत्यापित करता/करती हूँ कि मेरा/मेरी कोई भी सगे-सम्बन्धी आयुष विभाग या उसकी इकाइयों में कार्यरत नहीं हैं /कार्यरत हैं. (जो अनुपयुक्त हो काट दें).

मेरे उक्त रिश्तेदारों का विवरण इस प्रकार है :

नाम	पदनाम	इकाई का नाम जहाँ पदस्थ हैं

दिनांक:

आवेदक/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

फर्म की सील

प्रपत्र"फ"(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता- प्रारूप)

(तकनीकीकवरकेअन्तर्गतअपलोडकियाजावे)

Authorised Signatory

(निविदा कें लिए निविदाकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित कानून के तहत आवश्यक 200/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर प्रदान किया जाना है।नोटरी द्वारा सत्यापित एवं प्रमाणित।)

दिनांक :____________

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/ Authorised Signatory

जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए इन उपस्थित लोगों द्वारा सभी लोगों को ज्ञात हो कि हम ....(फर्म का नाम और पंजीकृत कार्यालय का पता) इसके द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से गठित] नामित] नियुक्त और प्राधिकृत करते हैंश्री/श्रीमती (नाम) ....पुत्र/पुत्री/पत्नी.................................. कोजो वर्तमान में .... पर रह रहे हैं जो वर्तमान में हमारे साथ .... के पद पर कार्यरत है और हमारे सच्चे और वैध अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में धारण कर रहे हैं (बाद में "अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता"के रूप में संदर्भित) हमारे नाम पर और हमारी ओर से ऐसे सभी कार्यकर्मऔर चीजें जो "सभी शैक्षिणक कार्य हेतुमानव संसाधन के लिए शासकीय स्वशासी आयुर्वेद **महाविद्यालय** चिकित्सालय जबलपुर को आउटसोर्स मानव संसाधन प्रदान करने के लिए एजेंसी के चयनकरना" के लिए हमारे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के संबंध में आवश्यक या प्रासंगिक हैं। प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद **महाविद्यालय** चिकित्सालय जबलपुर के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जारी आरएफपी के सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए] सूचना / प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है। प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद **महाविद्यालय** चिकित्सालय जबलपुर के साथ बातचीत सहित हमारे प्रस्ताव की स्वीकृति के परिणामस्वरूप सभी अनुबंधों और उपक्रमों पर हस्ताक्षर और निष्पादनऔर आम तौर पर हमारे प्रस्ताव के संबंध में या उससे संबंधित या उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद **महाविद्यालय** चिकित्सालय जबलपुर से चर्चा उक्त सेवाएं और हम एतद् द्वारा पुष्टि और पुष्टि करने के लिए सहमत हैं और एतद् द्वारा इस दस्तावेज़ द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में हमारे उक्त अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा किए गए या किए जाने वाले सभी कार्यों] कर्म] और चीजों की पुष्टि और पुष्टि करते हैं और यह कि सभी कार्य] कर्म और चीजें हमारे उक्त प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया जाएगा और हमेशा हमारे द्वारा किया गया माना जाएगा।

इसके साक्ष्य में हम..(संगठन का नाम (उपरोक्तनामित ने इस दस्तावेज़ को 202............................3 के दिन निष्पादित किया है।के लिए)...सीईओ(प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर/

नाम...।

शीर्षक / पदनाम ....।

पता..।

....

(सीईओ/प्रबंध निदेशक का नाम]शीर्षक और पता)

स्वीकृत

....

(अटर्नी के हस्ताक्षर)

नाम..।

शीर्षक/पदनाम.................................

पता..

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम]शीर्षक और पता)

प्रपत्र-"फिन-1"(वित्तीय प्रस्ताव का प्रारूप)
(वित्तीयकवरकेअन्तर्गतअपलोडकियाजावे)
वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने का फॉर्म

(संस्था केलेटर - हेडपर)

प्रपत्र "फ" 1
वित्तीय विड

प्रति

प्रधानाचार्य
शासकीय स्वशासी आयुर्वेद **महाविद्यालय** चिकित्सालय जबलपुर महाविद्यालय

महोदय/महोदया,
विषय: " शासकीय स्वशासी आयुर्वेद **महाविद्यालय** चिकित्सालय जबलपुर आउटसोर्स मानव संसाधन प्रदानकरने के लिए आउटसोर्स एजेंसी का चयन।"

Item Description	Service Charge in Figures (in %)	Service Charge in Words(in %)
इस आरएफपी में दिए गए Scope of Work के अनुसार सेवा शुल्क प्रतिशत में		

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के क्रय नीति प्रभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्याF.6/1/2023 दिनांक 06.01.2023 के अनुपालन में, जनशक्ति आउटसोर्सिंग सेवाओं की खरीद में न्यूनतम सेवा शुल्क 3.85% (3% लाभ और लेन देन शुल्क 0.85% है) निर्धारित किया गया है।ये शुल्क किसी भी स्थिति में 7% (लेनदेन शुल्क सहित) से अधिक नहीं होने चाहिए।यदि कोई बोलीदाता/ठेकेदार 3.85% से कम और 7% से अधिक सेवा शुल्क उद्धृत करताहै, तो बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

- अंकों तथा शब्दों में भिन्नता होने पर शब्दों की रकम को प्राथमिकता दी जाएगी।
- उपरोक्त कोटेशन में जीएसटी शामिल नहीं है और यह संस्थान द्वारा वास्तविक रूप से देय होगा।
- आयकर आदियदि लागू हो प्रधानाचार्य द्वारा वास्तविक भुगतान के समय लागू कानून के अनुसार भुगतान से स्रोत पर कटौती की जाएगी। हम यह भी समझते हैं कि यदि अनुबंध के कार्यकाल के दौरान किसी भी अन्य लागू करोंलेवीशुल्कों आदि में कोई वृद्धि होती हैतो उसकावित्तीय भार विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
- हमारा वित्तीय प्रस्ताव हम पर प्रस्ताव की वैधता अवधि (120 दिन) की समाप्ति तक बाध्यकारी होगा।
- हम यह वचन देते हैं कि उपरोक्त सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा में औरायदि हमारे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाते हैंतो हम भारत में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनों का पालन करेंगेजिसका नाम है "भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988"
- देयक प्रस्तुति के समय सभी कर (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष/स्थानीय)शुल्कलेवी आदि जो भी लागू होलिया जाएगा

प्रपत्र "फ"2

<u>तकनीकी स्कोर पत्रक</u>

तकनीकी स्कोर पत्रक के कॉलम नं. 05 मे मेनपावर को अनुभव के आधार पर दिये गये अंको का विवरण अंकित किया जाना है।

Table A			Total Work Experience				Total Relevant Experiencemark
Sr	Technical Resources	No. of Post	Min (yrs)	Min Marks	Max Marks	Remark	Remark
	1	2	3	4	5	6	7
1	Principal	01	15	15		for every extra yr +1	For additional 5 yrs experience
2	Vice Principal	01	12	12		for every extra yr +1	For additional 3 yrs experience
3	Associate Professor	02	08	08		for every extra yr +1	For additional 2 yrs experience
4	Assistant Professor	01	03	03		for every extra yr +1	For additional 2 yrs experience
Total		5					

रिशिष्ट "ग"(पदों की सूची)

प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद **महाविद्यालय** चिकित्सालय जबलपुर

क्र.	पदनाम	अनुमानितसंख्या	स्थान	वार्षिकअनुमानितव्यय (लाख)	कार्यस्थान	श्रेणी
1.						
2.						
3.						